GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि.

RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर–302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांकः वाणिज्य/2025–26/6098-6476 दिनांक – 20-11-2025

1. खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ,
.... (समस्त)

2. उप रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ,
जिला ....(समस्त)

3. क्षेत्रीय अधिकारी,
राजफेड,
.... (समस्त)

4. मुख्य व्यवस्थापक,
क्रय–विक्रय सहकारी समितियाँ,
....

विषय :– समर्थन मूल्य पर दलहन–तिलहन की खरीद खरीफ 2025 दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।
प्रसंग :– उपायुक्त (एम.पी.एस.), भारत सरकार का पत्र क्रमांक एल–15016/102/2025–एम.पी.एस. (176066) दिनांक 19.11.2025

समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत दलहन–तिलहन खरीद हेतु नोडल एजेन्सी नेफेड/एनसीसीएफ केन्द्रीय नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य किया जाना है। सक्षम स्तर से प्राप्त स्वीकृति अनुसार कार्यक्षेत्र का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है :–

क्र.सं.	नोडल एजेन्सी	क्षेत्रीय कार्यालय राजफेड (क्षेत्र के जिले)
1.	एनसीसीएफ	अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा (कुल 19 जिले)
2.	नेफ़ेड	जयपुर, उदयपुर, श्रीगंगानगर, भरतपुर (कुल 22 जिले)

समर्थन मूल्य पर खरीफ वर्ष 2025 में कृषि जिन्स **मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली** क्रय हेतु कृषकों के पंजीयन एवं खरीद प्रक्रिया के संबंध में दिशा–निर्देश निम्नानुसार है :–

1. खरीद अवधि –

उपायुक्त (एम.पी.एस.), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार खरीद लक्ष्य एवं अवधि निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	उपायुक्त (एम.पी.एस.), भारत सरकार का पत्र क्र. एवं दिनांक	जिन्स	आवंटित खरीद लक्ष्य अधिकतम (मै.टन)	खरीद अवधि
1.	एल–15016/102/2025–एम.पी.एस. (176066) दिनांक 19.11.2025	मूंग	3,05,750	दिनांक 24.11.2025 से 90 दिवस तक
2.		उड़द	1,68,000	
3.		सोयाबीन	2,65,750	
4.		मूंगफली	5,54,750	

Scanned with OKEN Scanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

2. समर्थन मूल्य दर –

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा खरीफ 2025 दलहन–तिलहन के समर्थन मूल्य निम्नानुसार घोषित किये गये है :–

क्र.स.	जिन्स	समर्थन मूल्य (रु. प्रति क्विं)
1	मूंग	8768.00
2	उड़द	7800.00
3	मूंगफली	7263.00
4	सोयाबीन (पीली)	5328.00

समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत दलहन–तिलहन की खरीद एवं भण्डारण का कार्य निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों के अनुसार सम्पन्न कराया जाना है **(परिशिष्ट–1)। नॉन एफ.ए.क्यू. जिन्स भण्डारण हेतु स्वीकार्य नहीं होगा एवं इसका राजफेड द्वारा भुगतान देय नहीं होगा।** भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।

3. पंजीयन व्यवस्था

3.1 किसानों के पंजीयन की अवधि

राज्य के किसानों से मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली के विक्रय हेतु ऑनलाईन पंजीयन व्यवस्था राजफेड क्षेत्रीय कार्यालय श्रीगंगानगर में दिनांक 27.09.2025 से आरंभ की जा चुकी है तथा शेष राज्य में दिनांक 18.10.2025 से आरंभ की जा चुकी है। ऑनलाईन पंजीयन का समय प्रातः 9 बजे से सांय 7 बजे. तक रहेगा।

3.2 पंजीकरण शुल्क

मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन विक्रय के इच्छुक किसान ई–मित्र पर पंजीकरण करवा सकेगें। किसान द्वारा कराए जाने वाले प्रत्येक पंजीकरण के लिए डीओआईटी द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा जो वर्तमान में प्रति पंजीकरण राशि 31.00/– रु. (इकतीस रु.) है, यदि डीओआईटी द्वारा इन दरों में कोई संशोधन किया जाता है तो तदानुरूप पंजीकरण शुल्क देय होगा।

3.3 किसी भी किसान का आधार कार्ड नंबर नहीं होने की स्थिति में पंजीयन के लिए पात्र नहीं होगा।

3.4 पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज

पंजीकरण के समय निम्न दस्तावेज आवश्यक होंगेः–

1. **जन–आधार कार्ड – एक जन–आधार कार्ड पर एक ही पंजीकरण मान्य होगा। जन–आधार कार्ड में अंकित नामों में जिस नाम से गिरदावरी होगी, उसी के नाम का पंजीकरण मान्य होगा। जन–आधार कार्ड महिला मुखिया के नाम होने के कारण एवं गिरदावरी पति के नाम होने की स्थिति में ऐसा एक पंजीयन स्वीकार किया जा सकता है। पति एवं पत्नी प्रत्येक के नाम से यदि गिरदावरी है तो बुवाई क्षेत्र जोड़ते हुए तुलाई करवाई जाएगी।**

2. **बैंक पास बुक** – राजफेड द्वारा किसानों के जन–आधार कार्ड में सीडेड बैंक खाते में विक्रय की गई जिन्स का भुगतान किया जाएगा। कृषक पंजीयन से पूर्व जन–आधार कार्ड में अपने खाते नम्बर को अद्यतन (अंकित करवाना) कराना सुनिश्चित करे। **खाता संख्या व आईएफएससी कोड में विसंगति के लिए कृषक स्वयं उत्तरदायी होगा। ई–मित्र/समितियाँ पंजीकरण से पूर्व प्रचलित बैंक खाते का जन–आधार कार्ड में अद्यतन होना सुनिश्चित करेगें।**

Scanned with OKEN Scanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

3. जनआधार ओटीपी –
किसानों के पंजीयन जन–आधार ओ0टी0पी0 द्वारा किये जा सकेंगे अर्थात् आधार आधारित बायोमेट्रिक अभिप्रमाणन की आवश्यकता नहीं होगी।

4. गिरदावरी – जिसके नाम गिरदावरी होगी उसी के नाम पंजीकरण मान्य होगा। एक जनआधार–कार्ड में एक पंजीयन की शर्त यथावत रहेगी। मूल गिरदावरी में परिवर्तन/संशोधन सक्षम स्तर से अनुमोदन के बिना मान्य नहीं होगा। गिरदावरी में स्पष्टता की दृष्टि से जिला कलक्टर स्तर से राजस्व अधिकारियों को निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाए :–

4.1 गिरदावरी में रकबा हैक्टेयर में (अंको एवं शब्दों दोनों में) अंकित करना आवश्यक होगा।

4.2 गिरदावरी का पी– 35 का क्रमांक एवं दिनांक की अनिवार्यता जहाँ ऑफलाईन गिरदावरी है वहाँ पर होगी।

4.3 फसल का रकबा हैक्टेयर में अंकित करना अनिवार्य होगा, बीघा में अंकित होगा तो उसे सॉफ्टवेयर द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। गिरदावरी में बुआई क्षेत्रफल हैक्टेयर में अंको व शब्दों में अंकित होना चाहिए, पंजीकरण हेतु इच्छुक कृषक के हिस्से का स्पष्ट उल्लेख हो एवं बोई गई फसल का नाम व रकबा भी स्पष्ट हो।

4.4 ऑफलाईन गिरदावरी पर पटवारी की मोहर एवं मोबाईल नम्बर भी आवश्यक रूप से अंकित होने चाहिए।

4.5 जमाबन्दी के आधार पर पंजीयन स्वीकार्य नहीं होंगे। यदि जमाबंदी से पंजीयन करवाया जाता है, तो वह अमान्य होगा।

4.6 जिन जिलों/तहसील क्षेत्र में ऑनलाइन गिरदावरी की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पर ऑनलाइन गिरदावरी ही स्वीकार की जाएगी।

4.7 जिला कलक्टर द्वारा जाँच में पाये गये फर्जी गिरदावरी एवं फर्जी पंजीयन प्रकरणों के अलावा ई–मित्र द्वारा पंजीकरण के समय गलत गिरदावरी अपलोड करने की स्थिति में संबंधित केन्द्र के मुख्य व्यवस्थापक/केन्द्र प्रभारी द्वारा खरीद के समय राजस्व विभाग/भू–प्रबन्ध विभाग के पोर्टल से ऑनलाईन गिरदावरी प्राप्त कर, उसे राजफेड ओपीआर पोर्टल पर स्कैन कर अपलोड किया जा सकेगा। ऐसे दुरूस्तीकरण के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं आवश्यक संशोधित दस्तावेज समिति कार्यालय में सुरक्षित रखे जाऐंगे।

4.8 एक ही परिवार के एक से अधिक सह–खातेदार है, तो ऐसी दशा में अन्य सह–खातेदारों की 500 रु. के स्टाम्प पर लिखित सहमति प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् उनमें से किसी एक के नाम से पंजीकरण मान्य होगा तथा सह–खातेदार के बुवाई क्षेत्र को सम्मिलित किया जाकर तुलाई की जा सकेगी।

नोट – अपलोड की गई ऑनलाईन गिरदावरी में संशोधन राजफेड मुख्यालय स्तर से अनुमोदन के बिना मान्य नहीं होगा।

5. बंटाईदार/ठेकानामा
5.1 बंटाईदार की स्थिति में कृषि भूमि मालिक एवं बंटाईदार/ठेके पर लेने वाले किसान के मध्य बवाई से पूर्व या बुवाई अवधि (कृषि विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 23.09.2025 **(परिशिष्ट–2)** के अनुसार **मूंग, उड़द के लिए जून 2025 से जुलाई 2025 तथा मूंगफली एवं सोयाबीन के लिए मई 2025 से जुलाई 2025** के समय का अनुबंध मान्य होगा एवं भूमि मालिक की गिरदावरी तथा जन–आधार कार्ड एवं बंटाईदार का जन–आधार कार्ड आवश्यक होगा। बुआई अवधि के बाद का अनुबंध पंजीकरण हेतु स्वीकार्य नहीं होगा। कृषि भूमि मालिक एवं काश्त करने/ठेके पर लेने वाले किसान के मध्य रुपये 500 के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध किया जाना है। **बंटाई अनुबन्ध को पंजीकरण के समय अपलोड कराना आवश्यक होगा अन्यथा पंजीयन मान्य नहीं होगा।**

Scanned with OKEN Scanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.

RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

5.2 भूमि मालिक यदि चाहे तो जन-आधार कार्ड के आधार पर अपना अथवा बंटाईदार/ठेके पर लेने वाले किसान की स्थिति में उसके नाम से पंजीयन करवा सकता है **अर्थात् एक जन-आधार कार्ड पर केवल एक ही पंजीयन स्वीकार होगा।**

5.3 भूमि मालिक एवं बंटाईदार/ठेके पर लेने वाले किसान के दो पृथक-पृथक पंजीयन स्वीकार नहीं होगें **अर्थात् भूमि मालिक किसान स्वंय अथवा बंटाईदार/ठेके पर लेने वाले किसान दोनों में से कोई एक जिन्स विक्रय कर सकेगा।**

5.4 बंटाईदार/ठेकानामा :- **पंजीकरण के लिए बंटाईदार/ठेके पर लेने वाले किसान एवं भूमि मालिक दोनों के जन आधार कार्ड में पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. सत्यापन पश्चात् पंजीकरण संभव होगा।**

6. पंजीकरण की अधिकतम सीमा -

(अ) राज्य की पंजीयन सीमा

भारत सरकार से जिन्सवार प्राप्त लक्ष्यों के अनुसार प्रति किसान 40 क्विंटल की उपार्जन सीमा अनुसार 100 प्रतिशत तक फसलवार पंजीयन किये जाने है।

(ब) जिले की पंजीयन सीमा

मूंग, मूंगफली, उड़द एवं सोयाबीन के कृषि विभाग से प्राप्त जिलेवार उत्पादन अनुमान के आधार पर **जिले में उत्पादित जिन्स की 25 प्रतिशत खरीद की सीमा होगी।** जिले की खरीद सीमा एवं प्रति कृषक 40 क्विं. अधिकतम क्रय के आधार पर प्राप्त कृषकों की संख्या से जिले की खरीद मात्रा की सीमा एवं प्रति कृषक निर्धारित अधिकतम क्रय मात्रा के आधार पर सक्षम स्तर से प्राप्त स्वीकृति अनुसार जिलेवार, जिन्सवार पंजीयन किया जा सकेगा। **जिन जिलों से तहसीलवार उत्पादन की सूचना प्राप्त नहीं हुई है उन जिलों के केन्द्रों के लिए पंजीयन क्षमता खरीफ 2024 के अनुसार प्रथमतः निर्धारित की जा रही है।**

(स) क्रय केन्द्र की पंजीयन सीमा

क्रय केन्द्रों की पंजीकरण सीमा जिस तहसील के अन्तर्गत क्रय केन्द्र है, उस तहसील के उत्पादन अनुमान के आधार पर तय की जाएगी। **पंजीकरण एवं दिनांक आवंटन खरीद की गारन्टी नहीं होगी, अधिकाधिक किसानों को अवसर प्रदान करने की दृष्टि से पंजीकरण किये जाने है।** **किसानों के पंजीयनों को ध्यान में रखते हुये समय-समय पर समीक्षा कर जिले की सीमा के अन्तर्गत पंजीयन सीमा का समायोजन किया जा सकेगा। पंजीयन सीमा का निर्धारण निम्न फॉर्मूला अनुसार मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन हेतु केन्द्रों की पंजीकरण सीमा का आंकलन किया जाएगा :-**

तहसील का उत्पादन क्विंटल में(जिन्स का नाम- मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन) / जिन्स का जिलों से प्राप्त तहसीलवार उत्पादन का योग (जिले में जिन्स का कुल उत्पादन) (जिन्स का नाम - मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन)	X	जिले की जिन्स विशेष हेतु पंजीकरण सीमा

यदि किसी तहसील में जिन्स अनुसार एक से अधिक क्रय केन्द्र होंगें तो तुलाई हेतु पंजीयनों के आवंटन में निम्न विकल्प हैं :-

विकल्प 1. के.वी.एस.एस. एवं जी.एस.एस. (सहकार मित्र) में पंजीयनों का विभाजन 60 एवं 40 प्रतिशत के अनुपात में किया जाएगा।

खरीद केन्द्रों पर कांटों की संख्या पंजीयनों की संख्या के आधार पर घटाई/बढाई जा सकती है। यदि एक स्थान पर 2 क्रय एजेन्सी कार्यरत है तो उस स्थिति में पंजीयनों को दोनों एजेन्सियों में 50:50 के अनुपात में विभाजित करने के उपरांत संबंधित क्रय-विक्रय सहकारी समिति एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 60:40 के अनुपात में विभाजन किया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.

RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

(द) समर्थन मूल्य खरीफ 2025 के दौरान किसानों को तुलाई हेतु संदेश भेजे जाने हेतु किसानों की संख्या का निर्धारण सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी, राजफेड के क्षेत्र में आने वाले सभी क्रय केन्द्रों पर खरीद हेतु अपेक्षित आधारभूत आवश्यकता यथा बारदाना, हैण्डलिंग एवं परिवहन की व्यवस्था को देखते हुए सप्ताहिक रूप से लिखित में अनुशंषा आई.टी. शाखा मुख्यालय, राजफेड को ई-मेल आई.डी. rajfed.opr@yahoo.com पर भिजवाने पर ऑनलाईन सिस्टम द्वारा जिन्सवार स्वतः वरीयता क्रम में किसानों को उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर संदेश जारी किये जाएंगे। सभी क्षेत्रीय अधिकारी प्रत्येक गुरूवार सायं तक उक्त सूचना ई-मेल द्वारा भिजवाना सुनिश्चित करेंगे ताकि आगामी सप्ताह (सोमवार से शुक्रवार) के लिए समय पर तुलाई संदेश जारी किये जा सके एवं संबंधित किसान द्वारा समय पर तुलाई बाबत संदेश प्राप्त होने पर अपने जिन्स की तुलाई निर्धारित केन्द्र पर करवाई जा सके।

7. क्रय केन्द्र –

मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन के लिए ही पंजीकरण मान्य होगा, अन्य जिन्स के लिए यदि किसान द्वारा पंजीकरण करवाया जाता है तो वह स्वीकार्य नहीं होगा। **किसान की कृषि भूमि जिस तहसील में होगी उसी तहसील के कार्य क्षेत्र में आने वाले क्रय केन्द्र का चयन फसल विक्रय हेतु किसान द्वारा किया जा सकेगा।** खरीफ 2025 हेतु केन्द्रों की सूची दिनांक 10.10.2025 एवं 16.10.2025 से जारी की जा चुकी है। केन्द्रों के संबंध में और प्रस्ताव प्राप्त होने एवं पृथक से जारी की जा रही है। **कृषक के द्वारा क्रय केन्द्र के स्थानान्तरण के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

समर्थन मूल्य खरीद खरीफ 2025 के लिए क्रय केन्द्रों पर पंजीकरण क्षमता का निर्धारण एवं पंजीकरण प्रारम्भ किए जाने के पश्चात यदि कोई खरीद केंद्र स्वीकृत होता है, कि स्थिति में मुख्य क्रय विक्रय सहकारी समिति (मुख्य केंद्र) पर शेष रही पंजीकरण क्षमता में से की जा सकेगी। मुख्य खरीद केंद्र की क्षमता पूर्ण हो जाने के पश्चात नवीन स्वीकृत खरीद केंद्र की पंजीकरण क्षमता 'शून्य' रहेगी।

यदि कृषक/ई-मित्र द्वारा वास्तविक तहसील के स्थान पर अन्य गलत तहसील भरकर पंजीयन करवाया गया है, तो जिन्स क्रय नहीं की जाएगी।

8. मोबाईल नम्बर –

किसान द्वारा एक मोबाईल नम्बर पर केवल एक पंजीकरण दर्ज करवाया जा सकेगा अर्थात प्रत्येक पंजीकरण में पृथक-पृथक मोबाईल नम्बर दर्ज होंगे।

9. अन्य –

9.1 किसान को पंजीकरण में सम्बन्धित जिन्स की गिरदावरी जुड़वाने की दिनांक के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा वरीयता क्रम में तुलाई दिनांक एवं उससे खरीद की जाने वाली मात्रा सबंधित केन्द्र पर लाने बाबत पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

9.2 यदि किसान किसी कारणवश निर्धारित दिनांक को क्रय केन्द्र पर अपनी जिन्स का विक्रय नहीं कर पाता है, **तो वह 10 दिवस की अवधि में अपना जिन्स कभी भी तुलवा सकता है।**

9.3 तुलाई पश्चात् किसान का ऑनलाइन बिल जनरेट कर विक्रय पर्ची की एक प्रति किसान को केन्द्र प्रभारी द्वारा अवश्य दी जाएगी। तुलाई के दिवस ही विक्रय पर्ची जारी करनी आवश्यक है ।

9.4 जिन्स विक्रय के पश्चात किसान के जन आधार कार्ड में अंकित बैंक खाते में सीधे ही जिन्स विक्रय की राशि संबंधित क्रय केन्द्र एवं संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अनुमोदन उपरान्त राजफेड मुख्यालय स्तर पर दो सक्षम अधिकारियों के डिजीटल हस्ताक्षर पश्चात् मुख्यालय लेखा अनुभाग द्वारा निर्देशित बैंकों के माध्यम से समय-समय पर हस्तान्तरित कर दी जाएगी।

9.5 खरीद प्रभारी/ऑपरेटर द्वारा तीन बार एसएसओ आईडी पर बायोमैट्रिक/ओटीपी गलत प्रविष्टि करने पर आई.डी. स्वतः ब्लॉक हो जाएगी।

Scanned with OKEN Scanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

9.6 कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन की ऑनलाइन खरीद खरीफ 2025 के दौरान वास्तविक किसानों की पहचान हेतु आधार आधारित बायोमेट्रिक अभिप्रमाणन पश्चात ही की जाएगी। किसान की बायोमैट्रिक पहचान के उपरान्त ही जिन्स की तुलवाई की जावेगी। ओटीपी के आधार पर किसान की पहचान एवं जिन्स तुलवाई नहीं की जावेगी। अतः समस्त क्रय केन्द्रों पर L1 बायोमेट्रिक मशीन होना अनिवार्य है। POS मशीने उपलब्ध कराये जाने पर किसान की बायोमैट्रिक पहचान POS मशीन द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

9.7 खरीद केन्द्रों पर किसानों से जिन्स क्रय के पूर्व किसान के पंजीकरण फॉर्म में अंकित बैंक खाता नंबर एवं IFSC कोड जो कि जनआधार कार्ड से ऑनलाइन प्राप्त किया गया है, का मिलान किसान की बैंक पासबुक से करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें तथा बैंक खाता का विवरण सही पाये जाने की स्थिति में ही तुलाई कर विक्रय पर्ची जारी करें। किसान का बैंक खाता सत्यापन बिना विक्रय पर्ची जारी की जाती है और किसान का भुगतान विफल होता है, तो पूर्ण रूप से केंद्र प्रभारी/मुख्य व्यवस्थापक की जिम्मेदार होंगे।

10. ऑनलाईन पंजीकरण में समस्याऐं एव निराकरण –

विभिन्न क्रय केन्द्रों एवं कृषकों को ऑनलाईन पंजीकरण में आने वाली व्यवहारिक समस्याओं का निराकरण निम्नानुसार करने की व्यवस्था की गई है :-

क्र.सं.	ऑनलाईन पंजीकरण में समस्या	निराकरण
1.	ऑनलाईन पंजीकरण में जन-आधार कार्ड महिला मुखिया के नाम होने तथा कृषि भूमि पति/पत्नी के नाम होने के कारण पंजीकृत किसान की कृषि जिन्स खरीद करने बाबत।	जन-आधार कार्ड में एक पंजीयन की शर्त यथावत रहेगी। जन-आधार कार्ड महिला मुखिया के नाम होने के कारण एवं गिरदावरी पति के नाम होने की स्थिति में ऐसा एक पंजीयन स्वीकार किया जा सकता है।
2.	किसान को तुलाई दिनांक आवंटन के पश्चात 10 दिवस में जिन्स तुलाई नहीं होने की स्थिति में तुलाई प्रकिया।	किसान को दिनांक आवंटन होने के बाद खरीद केन्द्र पर बारदाने के अभाव/क्रय की गई जिन्स का उठाव नहीं होने, बायोमैट्रिक पहचान नहीं होने या अन्य वाजिब कारण से यदि तुलाई नहीं हुई है तो ऐसे कृषकों की जिन्स की तुलाई हेतु कृषक के प्रार्थना पत्र के साथ क्रय केन्द्र के माध्यम से सबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को प्रेषित करेंगे जिसे क्षेत्रीय अधिकारी राजफेड द्वारा अपनी अनुशंषा सहित मुख्यालय को प्रेषित करेंगे। राजफेड मुख्यालय स्तर से स्वीकृति उपरांत जिन्स की तुलाई हो सकेगी।
3.	यदि गिरदावरी में अंकित नाम का मिलान जन-आधार कार्ड में अंकित परिवार के सदस्यों के नाम से नहीं होता है तो ऐसे पंजीकरण की स्थिति के सबंध में।	यदि गिरदावरी में अंकित नाम का मिलान जन-आधार कार्ड में अंकित परिवार के सदस्यों के नाम से नहीं होता है तो ऐसे पंजीयन खरीद हेतु स्वीकार नहीं किये जाऐंगे।
4.	ई-मित्र द्वारा पंजीयन के समय गलत गिरदावरी अपलोड करने की स्थिति में वास्तविक गिरदावरी के आधार पर संशोधन/दुरूस्तीकरण।	जिला कलक्टर द्वारा जाँच में पाये गये फर्जी गिरदावरी एवं फर्जी पंजीयन प्रकरणों के अलावा ई-मित्र द्वारा पंजीयन के समय गलत गिरदावरी अपलोड करने की स्थिति में संबंधित केन्द्र मुख्य व्यवस्थापक/केन्द्र प्रभारी खरीद के समय राजस्व/भू-प्रबन्ध विभाग के पोर्टल 'अपना खाता' से ऑनलाईन गिरदावरी डाउनलोड कर राजफेड ओपीआर पोर्टल पर स्कैन कर अपलोड कर सकेंगे। ऐसे दुरूस्तीकरण के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं आवश्यक संशोधित दस्तावेज समिति कार्यालय में सुरक्षित रखे जाएगें। पंजीयन के समय ई-मित्र द्वारा जो गलत गिरदावरी अपलोड की गई एवं राजस्व/भू-प्रबन्ध विभाग के पोर्टल से डाउनलोड ऑनलाईन गिरदावरी के आधार पर संशोधन कर संशोधित दस्तावेज पोर्टल पर

Scanned with OKEN Scanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

		अपलोड किये जा रहे है को पूर्ण रूप से समिति कार्यालय में रिकॉर्ड हेतु सुरक्षित रखा जाये एवं इस कार्य में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाये। फर्जी गिरदावरी अथवा गलत गिरदावरी के आधार पर खरीद की संभावना शून्य रहे, को सतर्कता से सुनिश्चित किया जाना है।
5.	भूमि विवरण जीरो दर्ज होने पर आवश्यक दुरुस्तीकरण।	ऑनलाइन प्रविष्टियों में यदि भूमि विवरण जीरो दर्ज हो गया है तो संबंधित केन्द्र के मुख्य व्यवस्थापक/क्रय केन्द्र प्रभारी किसान से खरीद के समय राजस्व/भू-प्रबन्ध विभाग के पोर्टल से डाउनलोड ऑनलाईन गिरदावरी से मिलान कर आवश्यक संशोधन कर सकेगा, इससे संबधित समस्त रिकॉर्ड समिति कार्यालय में सुरक्षित रखा जावे ऐसे दुरुस्तीकरण के लिए संबधित केन्द्र प्रभारी स्वंय जिम्मेदार होगें। उक्त परिस्थिति में किसान का पंजीयन संशोधन दिनांक से मान्य होगा एवं उक्त तिथि की वरीयतानुसार सॉफ्टवेयर से स्वतः दिनांक आवंटित होगी।
6.	पी 35 दिनांक – क्रमांक एवं राजस्व ग्राम अपडेट करना।	ऑनलाइन पंजीयन के समय यदि पी 35 क्रमांक, दिनांक एवं राजस्व ग्राम गलत प्रिंट हो गया है तो संबंधित क्रय केन्द्र के मुख्य व्यवस्थापक स्वयं की एस.एस.ओ. आई.डी. से मूल गिरदावरी में अंकित पी 35 क्रमांक, दिनांक एवं राजस्व ग्राम का पंजीकरण में संशोधन कर सकेगा। यह व्यवस्था ऑफलाईन गिरदावरी के प्रकरणों पर लागू होगी।

11. ई-मित्र के निम्न दायित्व होंगे –

11.1 ई-मित्र का दायित्व होगा कि पंजीकरण से संबंधित नियमों की पूर्ण पालना करते हुए किसानों का मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली का विक्रय हेतु पंजीकरण किया जाए।

11.2 ई-मित्र द्वारा पंजीकरण कार्य में अनियमितता/लापरवाही बरतने की स्थिति में सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग (DoIT), राजस्थान सरकार द्वारा ई-मित्र के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही, ई-मित्र का लाईसेंस निरस्त करने, शास्ति अधिरोपित करने आदि संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी। इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे। संबंधित क्षेत्रीय अधिकारीगण अपने-अपने जिला स्तर से भी ई-मित्र कियोस्क धारकों को पाबन्द कराना सुनिश्चित करें।

11.3 पंजीकरणकर्ता ई-मित्र किसान के पंजीयन से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों का पालन करने के लिये दायित्वाधीन होगे :-

1. आधारकार्ड में मोबाईल नम्बर लिंक होना सुनिश्चित करें।
2. जन-आधार कार्ड में प्रचलित बैंक खाता Seeded होने का सत्यापन करें।
3. समर्थन मूल्य पर खरीद के दौरान पंजीयन कराते समय किसान के जन-आधार कार्ड में अंकित बैंक खाते की पासबुक से मिलान कर खाता नम्बर की पुष्टि करें अन्यथा किसान को भुगतान में विलम्ब में मुख्य व्यवस्थापक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

12. तुलाई हेतु मैसेज

तुलाई हेतु कृषक को संदेश भेजे जाने की संख्या का निर्धारण सामान्यतः सिस्टम द्वारा जिन्सवार वरीयता क्रम में केन्द्र पर कुल पंजीयन संख्या एवं तुलाई हेतु कुल कार्यदिवस के आधार पर किया जाता है। केन्द्रों पर जिन्स तुलाई की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से समर्थन मूल्य खरीफ 2025 के दौरान किसानों को तुलाई हेतु संदेश भेजे जाने हेतु किसानों की संख्या का निर्धारण संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, राजफेड़ के क्षेत्र में आने वाले सभी क्रय केन्द्रों पर खरीद हेतु अपेक्षित आधारभूत आवश्यकता यथा बारदाना, हैण्डलिंग एवं परिवहन की व्यवस्था को देखते हुए सप्ताहिक रूप से लिखित में अनुशंषा आई.टी. शाखा मुख्यालय, राजफेड़ को ई-मेल आई.डी. **rajfed.opr@yahoo.com** पर भिजवाने पर ऑनलाईन सिस्टम द्वारा जिन्सवार स्वतः वरीयता क्रम में किसानों को उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर संदेश जारी किये जा सकेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

RAJFED

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

13. किसान से जिन्स की क्रय प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

1. क्रय केन्द्र पर पहुँचने वाले कृषक से प्रथमतः निम्न दस्तावेज प्राप्त किये जावे :-
   (I) जन-आधार कार्ड
   (II) गिरदावरी की मूल नकल ऑफलाईन की स्थिति में
   (III) बैंक पास बुक की प्रति
   (IV) बंटाईदार की स्थिति में बंटाईदार का मूल अनुबंध

दस्तावेजों एवं भूमि रिकॉर्ड में किसी भी तरह की कटिंग, ओवरराईटिंग, इरेजिंग (erasing) मान्य नहीं होगी एवं ऐसे किसान से खरीद नहीं की जाएगी। यदि ऐसे किसान से दलहन-तिलहन की खरीद की गई, तो समिति मुख्य व्यवस्थापक/खरीद केन्द्र प्रभारी स्वंय उत्तरदायी होंगे एवं संबंधित दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय/अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

2. जिन्स की एफएक्यू गुणवत्ता मापदंडो की जाँच की जाए।
3. **कृषक द्वारा गिरदावरी की हार्डकॉपी में अंकित जिन्स के बोये गये क्षेत्रफल एवं जिले की उत्पादकता के अनुसार क्रय की जाने वाली मात्रा तक ही जिन्स की खरीद की जानी है।** क्रय केन्द्र द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक खरीद की जाती है तो केन्द्र प्रभारी स्वंय उत्तरदायी होंगे एवं संबंधित दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय/अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
4. सैम्पल पास होने के उपरान्त केन्द्र पर तुलाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
5. खरीद के समय मुख्य व्यवस्थापक/प्रभारी किसान के बैंक खाते की जाँच कर सही पाए जाने की स्थिति में ही विक्रय पर्ची जारी करेंगे। यदि किसान का भुगतान असफल होता है तो पूर्ण जिम्मेदारी समिति के मुख्य व्यवस्थापक/खरीद केन्द्र प्रभारी की होगी। तुलाई के पश्चात् ऑनलाईन विक्रय पर्ची कृषि जिन्स विक्रय दिवस को ही जारी **की जानी अनिवार्य होगी।**
6. **ऑनलाईन विक्रय पर्ची के अभाव में खरीद पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सकेगी।**
7. **ऑनलाईन बिल जारी करने हेतु मुख्य व्यवस्थापक/क्रय केन्द्र प्रभारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। पूर्व में ऐसा देखने में आया है कि कुछ केन्द्रों पर कृषकों से जिन्स तुलाई के उपरांत ऑनलाईन विक्रय पर्ची अपलोड नहीं की गई, जिसके कारण कृषक को ऑनलाईन प्रक्रियानुसार भुगतान संभव नहीं हो पाता जबकि कृषक का एफ.ए.क्यू. श्रेणी का जिन्स भण्डारगृह में भी जमा हो चुका होता है। अतः ऑनलाईन बिल/विक्रय पर्ची अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड की जाए।**
8. **ऑफलाईन खरीद करने अथवा निर्धारित समय में ऑनलाईन विक्रय बिल नहीं बनाने पर संबंधित समिति उत्तरदायी होगी।**
9. **ऑफलाईन खरीद किये जाने पर भुगतान का दायित्व राजफेड का नहीं होगा एवं ऑफलाईन क्रय जिन्स समिति की होगी एवं इस क्रम में समस्त दायित्व संबंधित समिति का होगा।**
10. कृषि जिन्स खरीद का समस्त रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाकर पोर्टल पर दर्ज करवानें की सुनिश्चितता करें।
11. भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों के अनुसार एफ.ए.क्यू. श्रेणी का जिन्स (दलहन-तिलहन) लाने का उत्तरदायित्व स्वयं किसान का होगा।
12. **कृषि जिन्स कांटे तक लाये जाने हेतु वसूल योग्य राशि समिति द्वारा संबंधित किसान से प्राप्त कर उसकी रसीद कृषक को दी जाएगी तथा रसीद की एक प्रति समिति अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखेगी तथा मण्डी लेबर की राशि का भुगतान समिति द्वारा संबंधित लेबर/ठेकेदार को किया जाएगा।**

समर्थन मूल्य **मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन** खरीद में किसी प्रकार की समस्या हो तो किसान हेल्पलाईन नम्बर 18001806001 पर दर्ज करा सकेंगें एवं संबंधित क्रय-विक्रय सहकारी समिति/क्षेत्रीय कार्यालय राजफेड तथा मुख्यालय में स्थापित कॉल सेंटर पर शिकायत दर्ज करा सकेंगें।

letter had 2025-26_G

Scanned with OKEN Scanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.

RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

13.1 उत्पादकता

खरीफ वर्ष 2025–26 में समर्थन मूल्य पर मूँग, उडद, सोयाबीन एवं मूंगफली की खरीद संयुक्त निदेशक कृषि (सांख्यिकी) राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफः (iii) आकृ /मुसाअ/ प्रक्यो–द0–ति0/2025/दिनांक 19.09.2025 के आधार पर की जानी है, पत्र की प्रति (परिशिष्ट–3) संलग्न है। औसत उत्पादकता एवं मूल गिरदावरी में दर्शित बोये गये जिन्स के क्षेत्रफल के आधार पर किसान से खरीद किये जाने का दायित्व समिति मुख्य व्यवस्थापक/केन्द्र प्रभारी का होगा।

13.2 मंदिर की कृषि एवं रिसीवरी भूमि से सम्बन्धित दलहन/दलहन की खरीद प्रक्रिया

मन्दिर माफी की भूमि एवं रिसिवरी भूमि पर काश्त करने वाले किसानों से समर्थन मूल्य पर दलहन–तिलहन की खरीद की मांग समय–समय पर की जाती रही है। पूर्व में सक्षम स्तर से प्राप्त स्वीकृति अनुसार उपरोक्त प्रकरणों में समर्थन मूल्य पर दलहन तिलहन की खरीद के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :–

1. देव स्थान/मन्दिर मूर्ति की भूमि के प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड यथा जमाबंदी/खसरा गिरदावरी में मन्दिर मूर्तियों के नाम दर्ज भूमियों पर काश्त करने वाले काश्तकारों के नाम तहसील में एक पंजिका में पृथक से दर्ज होते है इन प्रकरणों में तहसीलदार द्वारा सबंधित काश्तकार को संबंधित खसरा नम्बर में काश्त करने बाबत एक प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा, प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित खसरा नम्बर में पैदा हुई दलहन–तिलहन को नियमानुसार समर्थन मूल्य पर क्रय किया जा सकेगा।

2. कई प्रकरणों में विभिन्न न्यायालयों द्वारा रिसीवरी की भूमियाँ दी जाती है जिनमें प्रतिवर्ष काश्त हेतु भूमि की नीलामी की जाती है। नीलामी में लेने वाले काश्तकारों द्वारा उन भूमियों पर काश्त की जाती है। न्यायालय आदेशों से रिसीवरी में दी गई भूमियों की जानकारी तहसील मे पृथक पंजिका संधारित की जाती है। अतः संबंधित तहसीलदार के प्रमाण पत्र के आधार पर नीलामी में भूमि काश्त पर लेने वाले काश्तकार से दलहन तिलहन की नियमानुसार समर्थन मूल्य खरीद की जा सकेगी।

3. मन्दिर माफी/देव मूर्तियों की भूमियों के सबंध में काश्त करने वाले पुजारियों की समस्याओं के समाधान बाबत संयुक्त शासन सचिव राजस्व(ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांक 3(2) राज–6/2007 पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 की प्रति (परिशिष्ट–4) पर संलग्न है।

13.3 बंटाईदार/ठेकानामा कृषक से खरीद प्रक्रिया

बंटाईदार कृषक की जिन्स क्रय किये जाने से पूर्व खरीद केन्द्र प्रभारी भूमि मालिक या बंटाईदार/ठेका लेने वाले कृषक दोनों में से किसी एक कृषक से ही खरीद किया जाना सुनिश्चित करेंगे। बंटाईदार/ठेका लेने वाले कृषक से खरीद किये जाने हेतु केन्द्र प्रभारी एक रजिस्टर का संधारण करेंगे, जिसमें भूमि मालिक एवं बंटाईदार/ठेका लेने वाले कृषक की दोनों की डिटेल का अंकन किया जावे एवं बंटाईदार कृषक से खरीद किये जाने से पूर्व रजिस्टर/रिकॉर्ड से मिलान कर यह सुनिश्चित किया जावे कि भूमि मालिक एवं बंटाईदार/ठेका लेने वाले कृषक में से किसी एक के द्वारा पूर्व में तुलाई तो नहीं कराई गई है रजिस्टर का संधारण निम्न प्रारूप निम्नानुसार किय जाए :–

भूमि मालिक				बंटाईदार				
भूमि मालिक का नाम	जन–आधार कार्ड का न.	मो.न.	भूमि का खाता सं.	बंटाईदार का नाम	जन–आधार कार्ड का न.	मो.न.	भूमि का खाता सं.	जिन्स जिसके लिये अनुबन्ध किया गया है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Scanned with OKEN Scanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.

RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

उक्त सूचना रजिस्टर के साथ-साथ राजफेड द्वारा प्रेषित एक्सल शीट में भी संधारित की जानी है। यदि पंजीयन दोहराया जाना पाया जाता है, तो ऐसे पंजीयन पर जिन्स की खरीद नहीं की जानी है। क्रय केन्द्र प्रभारी/समिति मुख्य व्यवस्थापक 25 प्रतिशत बटाई अनुबंधों को सत्यापन करेंगे।

समिति द्वारा बंटाईदार के अनुबंध का सत्यापन भूमि मालिक से आवश्यक रूप से किया जाए। इस हेतु क्रय केन्द्र प्रभारी एवं समिति मुख्य व्यवस्थापक संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

13.4 कृषि जिन्स खरीद मात्रा

भारत सरकार के निर्देशानुसार एक दिन में एक किसान से अधिकतम 80 कट्टे (50 किलो भर्ती) जिन्सवार क्रय किये जा सकेंगे अर्थात एक किसान से एक दिन में अधिकतम 40 क्विंटल कृषि जिन्स समर्थन मूल्य पर जिन्सवार क्रय किये जा सकेंगे।

14. गुणवत्ता मापदण्ड –

भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर क्रय किये जाने हेतु विभिन्न जिन्सों की खरीद हेतु अलग-अलग गुणवत्ता मापदंड निर्धारित किये गये है। एफ.ए.क्यू. गुणवत्ता की जिन्स विक्रय हेतु लाये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कृषक का होगा। अतः काश्तकार क्रय केन्द्र पर जिन्स विकय हेतु लाने से पूर्व किसी परेशानी से बचने के लिए यह सुनिश्चित कर लें कि उनकी जिन्स गुणवत्ता मापदंडो के अनुकूल है। यदि अनुकूल नही हो तो कृषक स्वयं अपने स्तर पर ग्रेडिंग कर क्रय केन्द्र पर लाए।

केवल मात्र निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों के अनुरूप क्रय की गयी मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली ही योजनान्तर्गत स्वीकार किया जाएगा।

क्रय केन्द्र पर गुणवत्ता मापदंडों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए समिति के मुख्य कार्यकारी/खरीद प्रभारी एफ.ए.क्यू. मापदण्डों के अनुरूप खरीद करने के लिये उत्तरदायी होंगे। कृषि जिन्स के गुणवत्ता मापदण्डों के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने पर निम्न कमेटी की बैठक आहूत कर जिन्स के एफ.ए.क्यू./नॉन एफ.ए.क्यू. गुणवत्ता के विवाद का निस्तारण किया जाए :-

1. व्यवस्थापक क्रय-विक्रय सहकारी समिति /प्रभारी, क्रय केन्द्र अध्यक्ष
2. हल्का निरीक्षक (सहकारिता) सदस्य
3. सम्बन्धित कृषि उपज मंडी समिति का सचिव या सचिव द्वारा नामित प्रतिनिधि सदस्य
4. सम्बन्धित कृषि पर्यवेक्षक कृषि विभाग सदस्य

गुणवत्ता का निर्धारण बहुमत से किया जाएगा। मत बराबर होने पर अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। कमेटी की कार्यवाही को लिपिबद्ध किया जाए और समिति रिकॉर्ड में सुरक्षित रखी जाए।

गुणवत्ता मापदंडो के आधार पर कृषि जिन्स रिजेक्शन की स्थिति में किसान को रिजेक्शन के कारणों से अवगत कराते हुए सन्तुष्ट किया जाए एवं रिजेक्शन स्लिप एवं रजिस्टर पर संबंधित किसान के हस्ताक्षर करवाये जाए एवं केन्द्र पर संधारित किये जाने वाले रजिस्टर में रिजेक्शन के कारणों का भी उल्लेख किया जाए। रिजेक्शन रजिस्टर का प्रारूप निम्नानुसार है :-

क्रय-विक्रय सहकारी समिति..............केन्द्र का नाम....................

रिजेक्शन रजिस्टर

क्र. सं.	जिन्स का नाम	किसान का नाम पता	पंजीकरण संख्या	पंजीकृत मोबाईल नम्बर	तुलाई हेतु आवंटित दिनांक	जिन्स रिजेक्शन का आधार	किसान के हस्ताक्षर	केन्द्र प्रभारी हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

केन्द्र पर जिन्स के रिजेक्शन की स्थिति में कृषि जिन्स की गुणवत्ता के सबंध में पूर्ण रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज किया जावे एवं क्रय की गई जिन्स का सैम्पल भी लिया जावे एवं सैम्पल की पर्ची में

Scanned with OKEN Scanner

किसान का नाम, क्रय रजिस्टर में अंकित क्रमांक, दिनांक तथा किसान के ऑनलाईन पंजीकरण के क्रमांक एवं दिनांक तथा जिन्स में नमी की मात्रा का भी उल्लेख किया जाए।

सैम्पल – क्रय केन्द्र पर किसान का माल नॉन एफ.ए.क्यू. होने पर ही 500 ग्राम का सैम्पल लिया जाए एफ.ए.क्यू. जिन्स का सैम्पल नहीं लिया जाए।

कृषक द्वारा लायी गयी जिन्स यदि नॉन एफ.ए.क्यू. है एवं यदि अतिरिक्त छनाई, ग्रेडिंग आदि की आवश्यकता है तो कृषक द्वारा यह कार्य स्वयं के स्तर से कराया जावेगा। क्रय केन्द्र पर किसी प्रकार की ग्रेडिंग मशीन आदि नहीं लगायी जाए। कृषक द्वारा लायी गयी नॉन एफ.ए.क्यू. जिन्स का क्रय केन्द्र से तुरंत उठाव सुनिश्चित किया जाए। नॉन एफ.ए.क्यू. जिन्स क्रय केन्द्र पर किसी भी स्थिति में पड़ी नहीं रहे।

15. दलहन–तिलहन खरीद उपरान्त भण्डारगृह में कृषि जिन्स का जमा नहीं होना –

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन–तिलहन की खरीद ऑनलाइन प्रक्रियानुसार की जाती है। क्रय केन्द्रों द्वारा किसान से क्रय की गयी कृषि जिन्स भण्डारगृह में जमा नहीं करवाये जाने पर संबंधित समिति एवं केन्द्र प्रभारी स्वयं उत्तरदायी होगें एवं ऐसी खरीद के भुगतान व अन्य व्यय की जिम्मेदारी संबंधित समिति की होगी। ऐसे प्रकरणों में विभाग द्वारा संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

15.1 कई बार ऐसा भी संज्ञान में आता है कि कृषक द्वारा केन्द्र पर जिन्स तुलवाने के उपरांत विक्रय पर्ची पोर्टल पर ऑनलाईन जारी करने से रह जाती है। समिति द्वारा एफ.ए.क्यू. श्रेणी का जिन्स क्रय करने पर भण्डारगृह में तो जिन्स जमा हो जाता है परन्तु ऑनलाईन खरीद दर्ज नहीं होने के कारण क्रय मात्रा खरीद प्रगति में शामिल नहीं हो पाती, वहीं दूसरी ओर कृषक को राजफेड़ द्वारा ऑनलाईन भुगतान करना भी संभव नहीं होता है। अतः सभी खरीद केन्द्रों का दायित्व है कि कृषक से क्रय किये गये जिन्स की विक्रय पर्ची अनुसार अनिवार्य रूप से पोर्टल पर क्रय मात्रा पूर्ण विवरण सहित दर्ज की जाए। भण्डारगृह में जिन्स जमा होने के उपरांत ऑनलाईन खरीद दर्ज नहीं होने की स्थिति में नेफेड से जिन्स वापिस प्राप्त करना एवं ऐसे किसान को भुगतान करने में अनावश्यक विलम्ब होता है। अतः यह स्थिति उत्पन्न न हो, सभी केन्द्र प्रभारी सुनिश्चित करें ताकि कृषकों को भुगतान में असुविधा न हो।

16. बारदाना व्यवस्था –

16.1 बारदाने की आपूर्ति राजफेड द्वारा की जाएगी। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनिवार्य रूप से प्राप्त बारदाना एवं वितरित बारदाने का विवरण समितिवार पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। **नेफेड/एनसीसीएफ से प्राप्त होने वाले बारदाने का क्रय केन्द्र/भण्डारगृह पर सुरक्षित रूप से भण्डारण करवाया जाए ताकि केन्द्र पर खरीद के दौरान बारदाने का समुचित रूप से उपयोग किया जा सके। बारदाने की सुरक्षा का दायित्व संबंधित समिति का होगा।**

भण्डारगृह में उपलब्ध बारदाने को संबंधित केन्द्रों पर प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जाए। केन्द्र पर जिन्सवार पंजीयन एवं खरीद को ध्यान में रखते हुए बारदाने की पाक्षिक मांग से अविलम्ब अवगत कराया जाए ताकि समय पर बारदाने की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जा सके। बारदाने की पाक्षिक आवश्यकता का आंकलन कर राजफेड को 15 दिवस अग्रिम अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें क्योंकि नेफेड/एनसीसीएफ से बारदाना प्राप्त होने में लगभग एक सप्ताह का समय लगता है।

क्षेत्र की समिति/गोदाम में भण्डारित एस.बी.टी. एवं बी.टी. बारदाने को आवश्यकतानुसार समितियों को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि खरीद कार्य निर्बाध रूप से सम्पन्न कराया जा सके। यह भी उल्लेखनीय है कि समितियों द्वारा आवश्यकतानुसार गोदाम/एक समिति से दूसरी समिति पर भिजवाये जाने वाले बारदाने पर होने वाले पुनः परिवहन के खर्चों/क्लेम सीजन समाप्ति पर भिजवाया जान सुनिश्चित करें ताकि अपेक्षित कार्यवाही की जा सके।

अतः खरीद आरंभ होने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंवे कि जिन खरीद केन्द्रों पर बारदाने की आवश्यकता है वहां आपके क्षेत्र की निकटतम समिति/भण्डारगृह में उपलब्ध बारदाने में से आवश्यकतानुसार बारदाना भिजवाना सुनिश्चित करें, साथ ही भण्डारगृह में उपलब्ध बारदाने स्टॉक को प्राथमिकता से उठवाने का कष्ट करें।

Scanned with OKEN Scanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

16.2 क्रय-विक्रय सहकारी समितियॉं एवं क्षेत्रीय कार्यालय, राजफेड स्तर पर बारदाने का स्टॉक रजिस्टर संधारित किया जावेगा।

16.3 बारदाने की सुरक्षा का दायित्व संबंधित समिति/केन्द्र का होगा। समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत दलहन-तिलहन की खरीद हेतु केन्द्र पर प्राप्त बारदाने के उपयोग, आगजनी से सुरक्षा एवं भण्डारण आदि की सम्पूर्ण सुरक्षा का दायित्व संबंधित समिति का होगा। बारदाना उपयोग के उपरांत यदि कोई बारदाना शेष रहता है तो उसके सुरक्षित भण्डारण का दायित्व भी संबंधित समिति का होगा। बारदाने की गुणवत्ता प्रभावित न हो इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जाए ताकि शेष रहे बारदाने का आगामी खरीद में सुगमता से उपयोग किया जा सके।

16.4 बारदाने में गुणवत्ता की शिकायत

बारदाने में गुणवत्ता सम्बंधी शिकायत होने में बारदाना प्राप्ति के 10 दिवस में अवगत कराया जाए। नेफैड, कोलकत्ता/एनसीसीएफ को 10 दिवस की अवधि के उपरांत प्राप्त होने वाली शिकायत पर कार्यवाही नहीं की जाएगी। अतः बारदाने में गुणवत्ता की शिकायत में बारदाना प्राप्त होते ही उसी दिवस अवगत करावे ताकि नेफैड, कोलकत्ता/एनसीसीएफ को 10 दिवस की अवधि पर उपलब्ध करवाया जा सकें।

बारदाने की गुणवत्ता, शॉर्ट साईज आदि की शिकायत होने पर सबंधित क्षेत्रीय कार्यालय राजफेड को समिति द्वारा सूचित करते हुए पंचनामा मय लघु वीडियो तैयार किया जावेगा। पंचनामा रिपोर्ट निम्न कमेटी द्वारा तैयार की जाएगी :-

1. व्यवस्थापक, क्रय-विक्रय सहकारी समिति
2. क्रय केन्द्र प्रभारी
3. मण्डी समिति का प्रतिनिधि
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय, राजफेड का प्रतिनिधि
5. केन्द्र पर पंजीकृत किसानों मे से उपस्थिति एक किसान

17. मार्का –

बोरियों पर **गहरा लाल रंग** का मार्का निम्नानुसार लगाया जावे :-

1. नेफेड/एन.सी.सी.एफ.
2. केन्द्र का नाम ....
3. **जिन्स – मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली खरीफ 2025-26**
4. **वजन – मूंग, उड़द, सोयाबीन 50 किलो एवं मूंगफली भर्ती 35 किलो नेट**
5. क्रय रजिस्टर में अंकित क्रमांक .... दिनांक ....
6. किसान का ऑनलाइन पंजीकरण क्रमांक .... दिनांक ....

18. बोरियों में जिन्स की भर्ती एवं सिलाई –

भर्ती के समय बारदाने में मानक (स्टेण्डर्ड) भर्ती का विशेष ध्यान रखा जाए बारदाने में स्टेण्डर्ड भर्ती मूंग, उड़द, सोयाबीन हेतु प्रति कट्टा 50 किलो तथा मूंगफली हेतु 35 किलो का ध्यान रखा जाए स्टेण्डर्ड भर्ती से कम होने के कारण वजन पूर्ति हेतु अतिरिक्त बारदाना उपयोग में लिया जाता है तो बारदाने की कीमत समिति से वसूल योग्य होगी। बारदाने में अधिक भर्ती होने का लाभ नेफेड/एनसीसीएफ द्वारा देय नहीं है एवं स्टैण्डर्ड भर्ती से कम होने पर समिति उत्तदायी होगी, वजन अन्तर की राशि समिति से वसूली योग्य होगी।

19. क्यू.आर. कोड –

राजफेड द्वारा क्यू.आर. कोड व्यवस्था लागू कर दी गई है। बारदाना आपूर्ति व्यवस्था की भाँति क्यू. आर. कोड की आपूर्ति नेफेड/एनसीसीएफ के माध्यम से करवाई जाएगी। अतः केन्द्रवार क्यू.आर. कोड की

Scanned with OKEN Scanner

आवश्यकता से वरिष्ठ प्रबन्धक (बारदाना) को 15 दिवस अग्रिम रूप से अवगत कराया जाए ताकि नेफेड/एनसीसीएफ से क्यूआर कोड की व्यवस्था की जा सके।

20. इलेक्ट्रोनिक तुलाई मशीन, मोईश्चर मीटर एवं छाया पानी –

सभी क्रय केन्द्रों पर दलहन–तिलहन की तुलाई इलेक्ट्रोनिक तुलाई मशीनों के माध्यम से सुनिश्चित की जाए **खरीद प्रारम्भ होने से पूर्व कांटे–बांट का प्रमाणीकरण आवश्यक रूप से कराया जाए** समर्थन मूल्य पर कृषि जिन्सों की खरीद के सम्बन्ध में क्रय केन्द्रों पर छाया पानी, तिरपाल, रस्सी, खूंटे आदि की व्यवस्था मण्डी प्रागण में खरीद सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्थाऐं सुनिश्चित कराने के लिए सम्बन्धित कृषि उपज मण्डी समिति के माध्यम से आवश्यक व्यवस्थाए सुनिश्चित कराई जाए।

राजफेड़ द्वारा निदेशक, कृषि विपणन को खरीद केन्द्रों पर आधारभूत व्यवस्था यथा छाया–पानी, बिजली, त्रिपाल, ग्रेडिंग मशीन आदि की व्यवस्थाए कृषि उपज मण्डी समिति के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया हुआ है अतः संबंधित मण्डी समितियों के माध्यम से केन्द्रों पर आवश्यक आधारभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करावें। मण्डी प्रांगण से बाहर समर्थन मूल्य केन्द्रों पर मण्डी द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करवायी जाएगी। अतः ऐसे केन्द्रों पर अपेक्षित व्यवस्थाएँ संबंधित ग्रा.से.स.स. द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। **मोईश्चर मीटर व्यवस्था समिति स्तर पर की जानी है।**

21. क्रय जिन्स की सुरक्षा व्यवस्था –

क्रय केन्द्र पर क्रय जिन्स की सुरक्षा का प्रबन्ध समिति द्वारा सुनिश्चित किये जावे ताकि क्रय केन्द्र से कृषि जिन्स की चोरी व स्टॉक कम नहीं हो अर्थात् क्रय केन्द्र पर क्रय की गई स्टॉक की सूरक्षा का दायित्व संबंधित समिति व्यवस्थापक/केन्द्र प्रभारी का होगा। इस बावत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समिति द्वारा प्रतिदिन डे–क्लोज कर क्रय जिन्स की कुल मात्रा, भण्डारण मात्रा एवं पिड पर शेष रहे स्टॉक का पजेशन समिति के पास होने के कोलम पर पोर्टल में टिक करेंगे एवं प्रतिदिन रिपोर्ट उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

सम्बन्धित उप रजिस्ट्रार समय–समय पर स्टॉक के निरीक्षण एवं सत्यापन करेंगे एवं कोई अनियमितता उजागर होती है तो सम्बन्धित समिति को आवश्यक निर्देश देते हुए राजफेड़ मुख्यालय एवं विभाग को अवगत कराया जायेगा।

22. हैण्डलिंग परिवहन व्यवस्था –

समर्थन मूल्य पर दलहन–तिलहन की खरीद हेतु राज्य के विभिन्न क्रय केन्द्रों के लिए दिशा–निर्देश ई–बिड/एच एण्ड टी/लेखा/2025–26/6014–6116 दिनांक 10.02.2025, 5971–6013 दिनांक 10.02.2025 द्वारा पत्र से निर्देश जारी किये हुए है। तत्पश्चात् संशोधित निविदा शर्ते पत्र क्रमांक ई–बिड/एच एण्ड टी/लेखा/2025–26/6668–6774 दिनांक 05.03.2025, 6777–6882 दिनांक 06.03.2025 एवं स्पष्टीकरण पत्र क्रमांक 6945–7049 दिनांक 08.03.2025 तथा 7062–7162 दिनांक 10.03.2025 के व्यवस्था हेतु निर्देश दिये हुए है। **(परिशिष्ट–5 से 10)**

उपरोक्त निर्देशों के क्रम में पुनः पाबन्द किया जाता है कि वित्तीय नियमों में किसी भी निविदा (टेण्डर) पर निर्णय वित्तीय शर्तों एवं नियमों के प्रकाश में अंतिम निर्णय लिये जाने की शक्ति व दायित्व संबंधित उपापन समिति का ही है और वित्तीय नियमों की यह मंशा है कि राजकीय संव्यवहारों में भाग लेने वाली फर्मों के बाबत किसी भी प्रकार का विवाद/संदेह अथवा भ्रांति न हो, इसी को रेखांकित करते हुए दिशा–निर्देशों व निविदा की अन्य शर्त संख्या 11 में वर्णित नियमों के अनुसार प्रत्येक उपापन संस्था यह सुनिश्चित कर लेवें कि भाग लेने वाली फर्में किसी भी रूप में लेशमात्र भी विवादित नहीं हो और न ही निविदादाता अकारण राजफेड़ के विरूद्ध पूर्व में अथवा वर्तमान में किसी न्यायालय व अन्य प्राधिकारी के समक्ष राजफेड़ के प्रतिपक्ष (विरोध) में हो। अतः पुनः पाबन्द किया जाता है कि हैण्डलिंग एवं परिवहन प्रक्रिया के संबंध में वर्ष 2025–26 (रबी व खरीफ) में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित कराए।

Scanned with OKEN Scanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

कृषि जिन्स क्रय प्रक्रिया में संबंधित मण्डी की हैण्डलिंग कार्य की दर आधार दर रखी जा रही है। राजस्थान राज्य में स्थापित सभी राजकीय कृषि मण्डी समितियों की वर्तमान में प्रचलित नवीनतम हैण्डलिंग दरों की प्रति संबंधित कृषि उपज मण्डी से प्राप्त की जाए। इस हेतु कृषि विपणन निदेशालय को प्रेषित पत्र क्रमांक ई-बिड/एच एण्ड टी/लेखा/2025-26/5921-5970 दिनांक 10.02.2025 प्रति संदर्भ हेतु परिशिष्ट-11 पर संलग्न है।परिवहन टेण्डर प्रक्रिया के सन्दर्भ में यदि किसी प्रकार की स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), राजफेड, जयपुर से फोन नम्बर 0141-2740418 या ई-मेल rajfed.fin_ac@yahoo.com.in पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

1. हैण्डलिंग एवं परिवहन के बिल सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय, राजफेड द्वारा समितिवार संकलित कर पाक्षिक रूप से संलग्न चैक लिस्ट (परिशिष्ट-12) अनुसार भेजे जावे, ताकि नेफेड/एनसीसीएफ से पुनर्भरण समय पर प्राप्त कर हैण्डलिग एवं परिवहन का समितियों को भुगतान किया जा सके। बिल के अभाव में समितियों को पुर्नभरण देय नहीं होगा।
2. नियमानुसार समिति ई. वे. बिल जारी करवाया जाना भी सुनिश्चित करें।

22.1 हैण्डलिंग एवं परिवहन के दौरान दुर्घटना/चोरी आदि बाबत ट्रांजिट बीमा –

क्रय केन्द्र पर खरीद उपरांत जिन्स परिवहन हेतु समिति द्वारा परिवहनकर्ता को संभलवाया जाता है। ऐसा भी संज्ञान में आया है कि कतिपय मामलों में परिवहनकर्ता द्वारा जिन्स ट्रक में लोड करने के उपरांत भण्डारगृह में जमा न करवाकर खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। इस तरह की घटनाओं की पुनर्रावृत्ति न हो एवं समिति को अनावश्यक हानि वहन नहीं करनी पड़े इस उद्देश्य से प्रत्येक ट्रक का चोरी दुर्घटना आदि का ट्रांजिट बीमा करवाया जाए। ट्रक में लोडिंग एवं परिवहनकर्ता को गेट पास संभलवाते समय भी विडियोग्राफी कराई जाए एवं परिवहनकर्ता द्वारा परिवहन हेतु जिन्स प्राप्त करने की पुष्टि स्वरूप परिवहनकर्ता के हस्ताक्षर एवं मोबाईल नम्बर भी अंकित करवाए जाए।

22.2 वाहन का ऑनलाईन ओ.पी.आर. पोर्टल पर चालान बनाना –

भण्डारगृह में जिन्स भण्डारण हेतु भिजवाने से पूर्व ओ.पी.आर. पोर्टल पर ऑनलाईन चालान बनाना अनिवार्य होगा अन्यथा भण्डारगृह में जिन्स जमा नहीं हो सकेगी।

23. हैण्डलिंग एवं परिवहन बिलों का प्रेषण एवं पुर्नभरण –

1. हैण्डलिंग एवं परिवहन के बिल समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार करवाए जाए। हैण्डलिंग एवं परिवहन बिलों के साथ अपेक्षित दस्तावेजों की सूची संलग्न करना आवश्यक है। समिति द्वारा प्रथम बिल के साथ निविदा कमेटी की दर स्वीकृत करने सम्बन्धी अनुशंषा की प्रति एवं समिति द्वारा जारी कार्य आदेश की प्रति बिल के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाए
2. क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर बिलों के प्रमाणकों/सम्बन्धित दस्तावेजों की जाँच कर राजफेड क्षेत्रीय कार्यालय के बिल के साथ भिजवाये जाये।
3. नोडल एजेन्सी नेफेड/एनसीसीएफ के कार्यक्षेत्र अनुसार पृथक-पृथक बिल तैयार कर भिजवाए जाए है।
3. विना बिलों के समितियों को हैण्डलिंग एवं परिवहन बिलों का भुगतान सम्भव नहीं होगा।
4. बिल पाक्षिक रूप से भेजे जाए।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, बिलों को प्रधान कार्यालय भिजवानें से पूर्व क्रय-विक्रय समिति को हैण्डलिंग एवं परिवहनकर्ता संवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल बिल की प्रमाणित प्रति सभी समितियों से प्राप्त कर संलग्न करेंगें। तथा क्रय-विक्रय सहकारी समिति का प्रमाण पत्र "संवेदक द्वारा प्रस्तुत बिल की न्यूनतम दर एवं दूरी से जाँच कर ली गयी है तथा जाँच उपरांत सही पाया गया" भी प्राप्त कर संलग्न करेंगें।

Scanned with OKEN Scanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

6. **भुगतान प्रक्रिया** – खरीद, हैण्डलिंग, परिवहन एवं अन्य खर्चो के संपूर्ण बिल खरीद समाप्त होने के पश्चात् 15 दिवस में समितियों द्वारा राजफेड क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित किये जाए इसके पश्चात् प्रेषित बिल स्वीकार नहीं किये जाऐंगे। हैण्डलिंग एवं परिवहन के बिल समितियों द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रस्तुत किए जाऐंगे जिनके परीक्षणोपरांत क्षेत्रीय अधिकारी की अनुशंषा उपरांत राजफेड मुख्यालय पर प्राप्त होने पर राजफेड द्वारा पचास प्रतिशत भुगतान जारी किया जाएगा।
7. समिति से शार्टेज आदि की वसूल योग्य राशि का समायोजन उसको देय राशि में से किया जाएगा।

24. भण्डारण –

1. समर्थन मूल्य पर क्रय जिन्सों के भण्डारण हेतु नोडल एजेन्सी केन्द्रीय भण्डारण निगम एवं राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा क्रय केन्द्र के निकटतम गोदामों की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेगी।
2. भण्डारण नोडल एजेन्सियां भारत सरकार से राज्य को प्राप्त खरीद लक्ष्यों के अनुरूप उचित भण्डारण क्षमता के गोदाम उपलब्ध कराने का दायित्व भण्डारण एजेन्सियों का होगा।
3. क्रयशुदा जिन्स के गोदामों में जमा की ई-डब्ल्यूआर एवं भण्डारण रसीदें प्रतिदिन जारी करवाने का दायित्व सम्बंधित भण्डारण एजेन्सी एवं भण्डार प्रबंधक का होगा, जिसकी पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करनी होगी।
4. गोदामों में क्रयशुदा जिन्स की भण्डारण रसीदें जारी होने के उपरांत जिन्स के गुणवत्ता सम्बंधित पूर्ण दायित्व सम्बंधित भण्डारण एजेन्सी का होगा तथा भण्डारण रसीदें जारी होने के उपरांत गुणवत्ता सम्बंधित प्रकरण उत्पन्न होने पर सम्बंधित भण्डार प्रबंधक का व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व होगा, जिसके विरूद्ध सम्बंधित भण्डारण एजेन्सी द्वारा विभागीय कार्रवाई अमल में लायी जाएगी।
5. भण्डारण नोडल एजेन्सी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि प्रतिदिन गोदाम पर अनलोड हेतु आये ट्रक प्रतिदिन ही अनलोड किया जाना आवश्यक होगा। इसकी समुचित व्यवस्था का दायित्व सम्बंधित भण्डारण एजेन्सी का होगा।
6. **क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा प्रतिदिन किसानों से क्रयशुदा जिन्स को मूवमेन्ट प्लान अनुसार क्रय केन्द्र के निकटतम गोदाम में प्रतिदिन जमा करवाना होगा एवं प्रतिदिन जमा जिन्स की ई-डब्ल्यूआर एवं भण्डारण रसीदें प्रतिदिन भण्डारगृह से प्राप्त कर क्षेत्रीय अधिकारी को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।**
7. क्रय केन्द्र प्रभारी भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों के अनुरूप ही किसानों से खरीद की जाकर गोदामों में जिन्स जमा करवाना सुनिश्चित करेगा।
8. क्रय केन्द्र प्रभारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिदिन पिड पर क्रयशुदा स्टॉक 500 क्विंटल से अधिक ना हो तथा जिसकी सूचना प्रतिदिन सम्बंधित क्षेत्रीय अधिकारी को उपलब्ध करवायेगा।
9. प्रतिदिन किसानों से क्रयशुदा जिन्स एवं गोदामों में जमा की मात्रा प्रतिदिन खरीद केन्द्र प्रभारी ओपीआर पोर्टल एवं सहकार पोर्टल से मिलान करेगा तथा सम्बंधित क्षेत्रीय अधिकारी केन्द्रवार इसकी मोनिटरिंग करना सुनिश्चित करेगा।
10. क्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से मुख्यालय को क्रय केन्द्र के निकटतम वरियता क्रम में तीन गोदामों का प्राथमिक तौर पर आवश्यक रूप से मूवमेन्ट प्लान प्रस्तुत करना होगा। मूवमेन्ट प्लान प्रस्ताव का मुख्यालय से अनुमोदन उपरांत उसमें बिना अनुमति के परिर्वतन स्वीकार्य नहीं होगा, जिसके लिए सम्बंधित क्रय केन्द्र प्रभारी जिम्मेदार होगा।
11. क्रय केन्द्र के निकटतम तीनों गोदाम पूर्ण रूप से भण्डारित होने तथा निकटतम गोदाम रिक्त नहीं होने की स्थिति में एवं निकटतम गोदाम के पूर्ण रूप से भण्डारित हो जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए अग्रिम तैयारी की जाकर मूवमेन्ट प्लान में परिर्वतन प्रस्ताव मुख्यालय को 7 दिवस पूर्व प्रेषित किये जावेगे। तदनुसार नवीनतम गोदामों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए संशोधित मूवमेन्ट प्लान प्रस्ताव अनुमोदन उपरांत जिन्सों का भण्डारण क्रय केन्द्र प्रभारी करवाना सुनिश्चित करेंगे। **मूवमेंट प्लान हेतु महाप्रबन्धक (वाणिज्य) एवं भंडारण प्रभारी अधिकारी से दूरभाष पर 0141-2740108/2740439 ई-मेल rajfedstorage@gmail.com पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।**

Scanned with OKEN Scanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

12. सभी खरीद केन्द्र प्रभारी यह सुनिश्चित कर लेवें कि भण्डारण हेतु भिजवाये जाने वाला दलहन-तिलहन एफएक्यू श्रेणी का ही है। भण्डारण के दौरान यदि कोई जिन्स नॉन एफएक्यू पाया जाता है, तो जिन्स को सम्बंधित किसान को भुगतान/जिन्स वापस लौटाने का दायित्व सम्बंधित केन्द्र प्रभारी एवं मुख्य व्यवस्थापक का होगा अर्थात नॉन एफएक्यू श्रेणी जिन्स का भण्डारण किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना है।

25. भंडारण रसीदें –

1. किसानों से क्रयशुदा जिन्स की गोदामों में जमा की भण्डारण रसीदों का केन्द्रवार, गोदामवार, जिन्सवार एवं मात्रावार रिकॉर्ड रखना केन्द्र प्रभारी का दायित्व होगा तथा प्रतिदिन रिकॉर्ड का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा किया जाकर प्रगति से मुख्यालय को प्रतिदिन अवगत कराना सुनिश्चित करेगे।
2. भण्डार प्रबंधक यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि जमा जिन्स की नेफेड/एनसीसीएफ, केन्द्रवार, जिन्सवार, कट्टे एवं वजन तथा समिति का नाम/क्रय केन्द्र का नाम में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। यह सुनिश्चित करने के उपरांत ही प्रतिदिन ई-डब्ल्यूआर जारी की जाए, किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए सम्बंधित भण्डार प्रबंधक उत्तरदायी होगा।
3. राज्य में किसानों से क्रयशुदा जिन्स गोदामों में जमा का डाटा सहकार पोर्टल पर ई-डब्ल्यूआर जनरेट करने के उपरांत संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इसके लिए पूर्ण सावधानी बरती जाए। यदि किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण स्थिति में जारी ई-डब्ल्यूआर के विरूद्ध भौतिक डब्ल्यूआर में संशोधन किया जाकर अविलम्ब क्रय केन्द्र प्रभारी सम्बंधित भण्डार प्रबंधक से संशोधित डब्ल्यूआर क्षेत्रीय अधिकारी के माध्यम से मुख्यालय को तीन दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करेगा।
4. सम्बन्धित उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ उक्त व्यवस्था का सतत् पर्यवेक्षण करेगे। विलम्ब से प्राप्त भण्डारण रसीदें स्वीकार नहीं की जायेगी। सम्बंन्धित क्षेत्रीय अधिकारी प्रतिदिन क्रय केन्द्र/समिति से प्राप्त भण्डारण रसीदें मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेगें।
5. भण्डारण रसीदों पर बोरियों की संख्या, वजन, नमी की मात्रा, गोदाम का नाम, स्टैक नम्बर एवं क्रय केन्द्र का नाम भी स्पष्ट अंकन होना अनिवार्य है। भण्डारण रसीदों के साथ नेफेड/एनसीसीएफ द्वारा भण्डारगृह पर नियुक्त सर्वेयर से सर्वेयर रिपोर्ट प्राप्त कर संलग्न की जाए मूल भण्डारण रसीदों के अतिरिक्त एक अतिरिक्त फोटो प्रति सर्वेयर रिपोर्ट सहित भी संलग्न कर भिजवायी जाए भंडारण रसीदें भिजवाने की जिम्मेदारी सबंधित समिति/केन्द्र की होगी। खरीद समाप्त होने के 15 दिवस में सम्पूर्ण भण्डारण रसीदें बिना रिमार्क की प्रेषित की जाए इसके बाद भण्डारण रसीदें स्वीकार नहीं की जाएगी।
6. भण्डार प्रबन्धक द्वारा जमा जिन्स की उसी दिन वेयरहाउस रसीद की हार्ड कॉपी जारी करना अनिवार्य होगा। आर.एस.डब्ल्यू.सी./सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा समस्त वेयरहाउस रसीदें ऑनलाईन सॉफ्टवेयर से ही जारी की जाए पूर्व में ऐसा देखने में आया है कि वेयरहाउस मैनेजर्स द्वारा सॉफ्टवेयर से डब्ल्यूआर जारी न कर केवल ऑफलाईन जारी कर दी गयी, जिसके कारण ऑनलाईन एवं ऑफलाईन डब्ल्यूआर में अन्तर उत्पन्न हो गया। अतः समस्त डब्ल्यूआर सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही जनरेट की जाए।
7. भण्डारण रसीदें पूर्ण सावधानी से जाँच उपरांत दो प्रतियों में एवं मूल पत्र की एक्सेल शीट (सॉफ्टकॉपी english) वाणिज्य शाखा की ई-मेल आई.डी. rajfedstorage@gmail.com पर **Times New Roman Font** में प्रेषित की जाए।

letter had 2025-26_G

Scanned with OKEN Scanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

RAJFED

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.

RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

नोट – समिति का नाम, केन्द्र का नाम, भण्डारगृह का नाम प्रेषित किये जाने वाले पत्र में english में ही अंकित किया जाए। भण्डारण रसीदें जिन्सवार, समितिवार अलग–अलग योग लगाकर ही प्रेषित की जाए।

26. भण्डारगृह पर रिजेक्शन

वेयर हाउस में किसी प्रकार के रिजेक्शन में आवश्यक रूप से सर्वेयर से रिजेक्शन रिपोर्ट तैयार करवाई जावे जिस पर वेयर हाउस मैनेजर के हस्ताक्षर हो। भंडारगृहों पर नेफेड द्वारा नियुक्त सर्वेयरों द्वारा कृषि जिन्स स्टॉक अस्वीकृत करने के कारण पूर्व में गुणवत्ता संबंधी विवाद उत्पन्न हुए थे। इसे ध्यान में रखते हुए **प्रमुख शासन सचिव सहकारिता के पत्र क्रमांक 459–609 दिनांक 06.04.18 संलग्न (परिशिष्ट–13) के द्वारा भंडारगृहों पर एफएक्यू श्रेणी जिन्स के सबंध मे निम्नानुसार गठन किया हुआ है:–**

1. आरएसडब्लूसी/सीडब्लूसी का प्रतिनिधि
2. नेफेड/एनसीसीएफ का प्रतिनिधि
3. कृषि विभाग का कृषि पर्यवेक्षक (जहा वेयरहाउस स्थित है उस जिले का)
4. सबंधित व्यवस्थापक– सदस्य सचिव

प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता के पत्र क्रमांक 459–609 दिनांक 06.04.18 द्वारा गठित कमेटी में **सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक 12957–13052 दिनांक 29.03.2022 (परिशिष्ट–14) द्वारा कमेटी का पुर्नगठन किया गया है।** गठित कमेटी द्वारा क्रय जिन्स की गुणवत्ता पर विवाद होने पर **भण्डारण के दौरान निम्न प्रक्रिया आवश्यक रूप से अपनायी जाए :–**

1. सदस्य सचिव द्वारा कमेटी की बैठक का आयोजन किया जावेगा।
2. बैठक आयोजन के क्रम में नोटिस जारी किया जावेगा जिसमें तिथि, समय व विवाद विवरण का उल्लेख होगा।
3. बैठक में कमेटी के सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
4. वेयरहाउस व नेफेड/एनसीसीएफ के अधिकृत अधिकारी द्वारा ही प्रतिनिधि नामित किये जा सकेंगे।
5. गुणवत्ता के क्रम में बहुमत से लिया गया निर्णय मान्य होगा।
6. क्रय कृषि जिन्स गुणवत्तायुक्त नहीं पाये जाने पर कारण का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
7. वेयरहाउस में गुणवत्तायुक्त कृषि जिन्स का ही भण्डारण किया जा सकेगा।
8. गठित कमेटी अन्यथा स्थिति यथा भंग या संशोधन न होने की स्थिति में यथावत कार्य करती रहेगी।
9. क्रय कृषि जिन्स की गुणवत्ता के क्रम में सदस्य कमेटी के मध्य मतांतर होने पर सभी सदस्यों के अभिमत कार्रवाई में अंकित किये जाए
10. कमेटी की बैठक में सम्पन्न कार्रवाई से नेफेड व राजफेड को तत्काल अवगत कराया जाए
11. कमेटी आवश्यक समझे तो संबंधित क्षेत्र के प्रगतिशील कृषकों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकेंगे लेकिन विशेष आमंत्रित सदस्य को मताधिकार नहीं होगा।

एनसीसीएफ/नेफेड के कार्यक्षेत्र में आने वाले जिलों में सम्बन्धित केन्द्रीय नोडल एजेन्सी के प्रतिनिधि द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

वेयरहाउस में किसी भी प्रकार के रिजेक्शन में आवश्यक रूप से सर्वेयर से रिजेक्शन रिपोर्ट तैयार करवायी जाए तथा उस पर वेयरहाउस मैनेजर के हस्ताक्षर हो ताकि कृषि जिन्स भण्डारण कार्य में पूर्ण पारदर्शिता रखी जा सके।

Scanned with OKEN Scanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर–302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

27. नॉन एफ.ए.क्यू. स्टॉक का निस्तारण

समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत नॉन एफ.ए.क्यू. श्रेणी का जिन्स क्रय किया जाना मान्य नहीं होने के कारण राजफेड़/नेफैड द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जावेगा इस हेतु सम्बन्धित समिति व्यवस्थापक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगें। नॉन एफ.ए.क्यू. श्रेणी के जिन्स का संबंधित किसान को भुगतान अथवा जिन्स वापिस लौटाने का दायित्व संबंधित समिति का होगा। नॉन एफ.ए.क्यू. श्रेणी के जिन्स के निस्तारण में होने वाली हानि सम्बन्धित समिति से वसूली योग्य होगी। राजफेड़ द्वारा नॉन एफ.ए.क्यू. जिन्स का भुगतान किसानों को नहीं किया जावेगा।

28. मण्डी टैक्स एवं कृषक कल्याण सेस

राज्य सरकार द्वारा राजफेड के माध्यम से या अन्य अधिकृत एजेन्सी के माध्यम से दलहन–तिलहन की खरीद समर्थन मूल्य पर किये जाने पर खरीफ सीजन वर्ष 2025–26 में खरीद अवधि तक के लिए उक्त खरीद पर राज्य सरकार की मण्डी समितियों को देय मण्डी शुल्क से छूट प्रदान की गई है। शासन उप सचिव, कृषि (ग्रुप–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक 10(2)कृषि/ग्रुप–2/75/पार्ट दिनांक 23.09.2025 की प्रति संदर्भ हेतु (परिशिष्ट–15) पर संलग्न है।

29. जी.एस.टी.

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत दलहन चना की ख़रीद पर जीएसटी लागू नहीं है एवं सरसों पर नियमानुसार जीएसटी देय है। सदस्य समितियों द्वारा की गई कृषि जिन्सों की तिलहन की खरीद पर देय जीएसटी का नेफेड/एनसीसीएफ द्वारा पुनर्भरण किया जावेगा। समस्त समितियाँ जीएसटी आर–1 रिटर्न की जीएसटी पोर्टल पर फाईल की गई प्रति, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण–पत्र, बिल दिनांक से अधिकतम आगामी माह की 12 तारीख तक तथा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, राजफेड को भिजवाना सुनिश्चित करेंगी एवं क्षेत्रीय कार्यालय राजफेड द्वारा जीएसटी आर–1 रिटर्न की प्रतियाँ समितिवार संकलित कर राजफेड को अधिकतम आगामी मांह की 14 तारीख तक प्रेषित करेगी। माह की 14 तारीख के पश्चात् यदि जीएसटी क्लेम पर पैनल्टी लगती है तो इसके लिए संबंधित समिति जिम्मेदार होगी। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समितियों से जी.एस.टी. बिल क्लेम प्राप्त कर महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजफेड़, जयपुर को भुगतान हेतु सीधे प्रेषित करेगे।

सदस्य समितियों द्वारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय राजफेड को तिलहन जिन्स के बिल के साथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण–पत्र, ई–इनवॉइस की प्रति, बिल पर (6 डिजिट का एच.एस.एन. नम्बर, बिल नम्बर, दिनांक, समिति एवं राजफेड का जीएसटी नम्बर आपूर्ति स्थल, पिन कोड, जिन्स का नाम, जिन्स की मात्रा, दर एवं राशि आदि) आदि जीएसटी नियमानुसार प्रेषित किये जाएगे। नियमानुसार कांटे गये बिल, ई–इनवॉइस, जीएसटी आर–1 रिटर्न (जीएसटी पोर्टल पर फाईल्ड) की प्रति जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं करने की स्थिति में जीएसटी राशि का भुगतान बाधित होने पर संबंधित सदस्य समिति उत्तरदायी होगी।

सदस्य समितियों के द्वारा जीएसटी आर–1 रिटर्न निर्धारित समयावधि में फाईल किया जाना सुनिश्चित किया जावे ताकि उसी अनुरूप जीएसटी राशि का पुनर्भरण किया जा सके। संबंधित क्षेत्रीय अधिकारीगण यह सुनिश्चित करें कि समितियों द्वारा जीएसटी आर–1 रिटर्न भरने एवं जीएसटी जमा कराने संबंधित कार्यवाई निर्धारित समयावधि में पूर्ण की जाए ताकि समितियों को अनावश्यक पेनल्टी वहन नहीं करनी पड़े। क्षेत्रीय अधिकारीगण यह भी सुनिश्चित करें कि नेफेड व एनसीसीएफ के कार्यक्षेत्र अनुसार उनके अधीनस्थ समितियों के क्लेम एक साथ इकजाई कर मुख्यालय को प्रेषित किये जाए। सतत् पर्यवेक्षण सुनिश्चित करें।

Scanned with OKEN Scanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX : 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि.

RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर–302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

30. किसानों को भुगतान –

खरीद प्रक्रिया के अन्तर्गत कृषकों से खरीद किये गये जिन्सों की राशि भुगतान राज्य सरकार के निर्देशानुसार सीधे ही उनके जन–आधार कार्ड में सीडेड बैंक खातों में ऑनलाईन किया जावेगा। भुगतान प्रक्रिया निम्नानुसार निष्पादित की जायेगी :–

1. **कृषक को एफ.ए.क्यू. श्रेणी जिन्स का भुगतान समिति द्वारा वेयरहाउस में जमा जिन्स के आधार पर किया जायेगा। अतः समिति क्रय जिन्स का भण्डारण अधिकतम तीन दिवस में किया जाना सुनिश्चित करे।**

2. **क्रय केंद्र प्रभारी/मुख्य व्यवस्थापक प्रत्येक दिवस की समाप्ति के पश्चात ऑनलाइन पोर्टल पर डे–क्लोज एवं गिरदावरी टिकिंग (राजस्व विभाग के पोर्टल 'अपना खाता' से किसानों द्वारा अपलोड की गई ऑनलाइन गिरदावरी का सत्यापन) आवश्यक रूप से करेंगे अन्यथा दूसरे दिवस डे–क्लोज एवं गिरदावरी टिकिंग नहीं हो सकेगी। मुख्यालय की स्वीकृति पश्चात ही संभव हो सकेगा।**

3. **व्यवस्थापक क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा क्रय जिन्स के स्टॉक की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट जिसमें कुल खरीद, भण्डारगृह में जमा, पिड पर शेष स्टॉक समिति के पजेशन में होने आदि का विवरण संलग्न (परिशिष्ट–16) के अनुसार प्रमाण–पत्र पोर्टल पर ऑनलाईन दर्ज करना होगा एवं साप्ताहिक रूप से उक्त सूचना सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी, राजफेड एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ को भी देनी होगी।**

4. खरीद रिकॉर्ड से मिलान पश्चात् भुगतान उसी दिन ऑनलाईन पोर्टल पर आवश्यक रूप से अनुमोदित (अप्रूव) किया जायेगा।

5. क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा अनुमोदित खरीद को सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी, राजफेड द्वारा चेक कर डब्ल्यूआर तक की राशि का भुगतान अनुमोदित कर आईटी सैल प्रधान कार्यालय को भेजा जायेगा।

6. क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा किसानों को किये जाने वाले भुगतान की सत्यापित सूची मुख्यालय द्वारा जनरेटेड शीट का वित्त अनुभाग द्वारा अधिकृत बैंक के माध्यम से किसानों के बैंक खातों की PFMS से किसान का नाम, IFSC कोड तथा बैंक खाता संख्या की जाँच करवाई जाएगी।

7. PFMS में जाँच उपरान्त सही पाये गये कृषक के बैंक खाते में सीधे ऑनलाईन भुगतान किया जावेगा।

8. लीड बैंक द्वारा जिन किसानों की असफल भुगतान (फेलीयर पेमैन्ट) रिपोर्ट किये जाते है अथवा जिन किसानों की गलत खातों में राशि हस्तान्तरित हो जाती हैं उनकी मॉनेटरिंग एवं सम्बन्धित क्रय–विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से किसानों के भुगतान सम्बन्धी समस्त सूचना आई.टी. सेल द्वारा लेखा शाखा से समन्वय स्थापित करते हुये उपलब्ध करायी जायेगी।

9. **समर्थन मूल्य पर खरीद के दौरान पंजीयन कराते समय किसान के आधार लिंक बैंक खाते की पासबुक से मिलान कर सही खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड नम्बर अंकित करवाया जाना संबंधित समिति व्यवस्थापक सुनिश्चित करें। किसान का खाता संख्या गलत होने पर भुगतान नहीं होने की स्थिति में किसान को देय राशि सम्बन्धित क्रय विक्रय सहकारी समिति को भेजी जाएगी। किसान सम्बन्धित क्रय विक्रय सहकारी समिति पर सम्पर्क कर भुगतान प्राप्त कर सकेगा। इस हेतु किसान के पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर मैसेज भी दिया जायेगा।**

10. क्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा दैनिक रूप से डेक्लोज, खरीद का भुगतान एवं स्टॉक प्रमाण–पत्र अपडेट करने सम्बन्धित सूचना का पर्यवेक्षण सम्बन्धित उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों द्वारा किया जावेगा।

11. **उपरोक्त कार्रवाई के उपरान्त केन्द्र प्रभारी द्वारा प्रतिदिन डे–क्लोज करना (गिरदावरी–टिकिंग) सुनिश्चित करेगें। डे क्लोज की भाँति किसानों की मूल गिरदावरी प्राप्त होने एवं सबधित समस्त रिकॉर्ड समिति में सुरक्षित होने के आशय की ऑनलाईन पुष्टि भी की जाएगी।**

Scanned with OKEN Scanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

31. कानून व्यवस्था –

क्रय केन्द्र पर पारदर्शिता एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु सी.सी. टीवी कैमरे लगाये जाए क्रय केन्द्र पर आवश्यकतानुसार विडियोग्राफी कराई जा सकती है। कैमरे व विडियोग्राफी पर होने वाला व्यय संबंधित समिति द्वारा वहन किया जावेगा। समर्थन मूल्य खरीद के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा खरीद कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए सम्बन्धित जिला प्रशासन के स्थानीय अधिकारियों से सम्पर्क रखा जाए जिला कलक्टर से सम्पर्क कर समय–समय पर प्रगति से अवगत करावे। खरीद केन्द्र स्तर पर समर्थन मूल्य पर खरीद में आने वाली समस्याओं के सुगम निराकरण हेतु संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग अनु–3 द्वारा आज्ञा क्रमांक 6(13) अनु–3/2018 दिनांक 17.04.2018 संलग्न (परिशिष्ट–17) के अनुसार खरीद केन्द्र समन्वय एवं निगरानी समिति का निम्नानुसार गठन किया हुआ है:–

1. सबंधित उप खण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2. जिला रसद अधिकारी	सदस्य
3. उप पुलिस अधीक्षक/थाना इन्चार्ज संबंधित	सदस्य
4. उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ	सदस्य
5. प्रतिनिधि आरएसडब्लूसी/सीडब्लूसी	सदस्य
6. सचिव कृषि उपज मण्डी समिति	सदस्य
7. क्रय–विक्रय सहकारी समिति/केन्द्र प्रभारी	सदस्य सचिव

पुलिस अधीक्षक, कानून व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक 15(11) कानून व्यवस्था/2018–23/376 दिनांक 20.03.2023 (संलग्न परिशिष्ट–18) के द्वारा पूर्व में समस्त पुलिस अधीक्षक एवं समस्त उपायुक्त को खरीद के दौरान क्रय केन्द्रों पर किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो, इस हेतु फसल खरीद के दौरान आवश्यक पुलिस प्रबन्ध करने एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु निर्देशित किया हुआ है। अतः संबधित जिला/पुलिस प्रशासन से भी समन्वय बनाया रखा जाए

मुख्य सचिव, राजस्थान स्तर से जिला कलक्टर को पत्र क्रमांक 14706–14793 दिनांक 21.10.2020 संलग्न परिशिष्ट–19 से पूर्व में क्रय केन्द्रों पर कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु 1 से 4 का पुलिस बल लगाये जाने के निर्देश दिये हुए हैं। अतः सम्बन्धित जिला प्रशासन से सम्पर्क कर खरीफ 2025–26 खरीद अवधि के दौरान केन्द्र पर पुलिस बल लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

32. प्रचार–प्रसार –

खरीफ वर्ष 2025 में समर्थन मूल्य पर दलहन–तिलहन खरीद से संबंधित जानकारी किसानों एवं आमजन तक पहुँचाने हेतु प्रचार–प्रसार किये जाने के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि वे अपने क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्रय विक्रय सहकारी समिति/क्रय केन्द्र/उप केन्द्रों पर पूर्व वर्ष की भांति प्रचार–प्रसार के मुख्य स्थानों पर फ्लेक्स/होल्डिंग की फोटो भी मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

Scanned with OKEN Scanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

(अ) सभी क्रय केन्द्रों पर प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करवाया जाए आवश्यकतानुसार क्रय केन्द्रों जिला परिषद/जिला पंचायत के माध्यम से स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए क्रय केन्द्रों पर फ्लेक्स बैनर में विशेष रूप से निम्नाकिंत तथ्यों को प्रदर्शित किया जावे :-

1. एफ.ए.क्यू. मापदडों एवं समर्थन मूल्य दर का प्रदर्शन।
2. क्रय केन्द्रों पर विक्रय हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची।
3. टोल फ्री नम्बर, क्रय केन्द्र प्रभारी, समिति व्यवस्थापक का नाम व मोबाईल नम्बर।
4. कृषक को ऑनलाईन बिल जारी कराने एवं एक प्रति प्राप्त करने हेतु सूचित किये जाने एवं तुलाई पर्ची समिति में जमा कराने बाबत फ्लेक्स बैनर के माध्यम से सूचित किया जाए।
5. समस्या समाधान हेतु संबंधित उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ का नाम व मोबाईल नम्बर।
6. कृषक द्वारा वहनीय खर्चों की सूची।

(ब) बैनर – समर्थन मूल्य दलहन-तिलहन खरीद अन्तर्गत क्रय केन्द्रों/मण्डी परिसर एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर संलग्न (परिशिष्ट-20) अनुसार बैनर लगाये जाने है, जिसमें क्रय केन्द्र से संबंधित जिन्स के गुणवत्ता मापदण्डों, किसान द्वारा वहनीय खर्चों एवं संबंधित अधिकारियों के मोबाईल नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख हो।

सभी उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ एवं क्षेत्रीय अधिकारी, राजफेड को दैनिक रूप से ओ.पी.आर. जरिये ई-मेल प्रेषित की जाएगी। इस हेतु सम्बन्धित कार्यालयों के एक्टिव ई-मेल आई.डी. प्रेषित करावे। खरीद एवं भुगतान सम्बन्धी प्रगति कृषक विशेष या क्षेत्र विशेष की जन सूचना पोर्टल पर भी देखी जा सकती है।

प्रतिदिन खरीद प्रगति की सूचना पर ऑनलाईन अपडेट की जाए सरसों, चना खरीद सम्बन्धी समस्त रिकॉर्ड एवं दस्तावेज पूर्ण रूप से सुरक्षित रखे जाए, ताकि ऑडिट के समय किसी तरह की असुविधा न हो।

क्षेत्रीय अधिकारी अपने क्षेत्र में स्थित खरीद केन्द्रों का सप्ताह में तीन दिवस प्रतिदिन कम से कम तीन केन्द्रों का विजिट/निरीक्षण करते हुए विजिट रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप संलग्न (**परिशिष्ट-21**) में विजिट समाप्त होने के दो दिवस के अन्तर आवश्यक रूप से महाप्रबन्धक (वाणिज्य) को भिजवाएगें।

उप रजिस्ट्रारगण भी समय-समय पर केन्द्रों का विजिट करें एवं संलग्न प्रारूप अनुसार विजिट रिपोर्ट प्रेषित की जाए। बंटाईदार के पंजीयन की व्यवस्था बिन्दु क्रमांक 5 एवं खरीद प्रक्रिया 13.3 अनुसार निर्धारित है।

केन्द्रों पर बंटाईदार के पंजीयन/खरीद के संबंध में रेण्डम आधार पर दस्तावेजों की जाँच भी की जाए। यदि किसी केन्द्र पर बंटाईदारों के असामान्य पंजीकरण पाये जाते हैं तो उसके संबंध में भी तथ्यों की जाँच कर अवगत करावें। इसी प्रकार क्रय केन्द्रों के विजिट के दौरान कृषक/ई-मित्र द्वारा ऑनलाईन प्रक्रियानुसार अपलोड किये गये दस्तावेजों यथा गिरदावरी, बैंक पासबुक, जनाधार-कार्ड का क्रय केन्द्र पर मूल भौतिक रिकॉर्ड से मिलान किया जाए। यदि कोई

Scanned with OKEN Scanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

विसंगति ध्यान में आती है तो उसका भी विजिट रिपोर्ट में आवश्यक रूप से उल्लेख किया जाए। क्रय केन्द्रों द्वारा खरीद के समय मूल गिरदावरी में वर्णित रकबे का स्पष्ट ध्यान रखा जाए।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि आपके क्षेत्र के क्रय केन्द्रों पर समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत समर्थन मूल्य दर पर दलहन-तिलहन की खरीद में निर्धारित गुणवत्ता मापदंडो का पूर्ण ध्यान रखा जाए निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों के अनुरूप दलहन-तिलहन खरीद की जिम्मेवारी सम्बन्धित समिति की होगी।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार

भवदीय,

(टीकम चन्द बोहरा)
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, कार्यालय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रशासक एवं प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि/राजस्व, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि राहकारी विभाग स्तर से भी निर्देश जारी करने का श्रम करें।
7. निदेशक, कृषि विपणन, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।
8. संभागीय आयुक्त (समस्त) ....
9. जिला कलक्टर (समस्त) ....
10. उपखण्ड अधिकारी (समस्त) ....
11. महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा/वाणिज्य/कृषि आदान/मा.स.वि./फैक्ट्री) राजफेड, जयपुर।
12. अतिरिक्त रजिस्ट्रार(मार्के), सहकारी समितियाँ, राजस्थान जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि समर्थन मूल्य दलहन/तिलहन की खरीद के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों को अपेक्षित विभागीय निर्देश जारी करवाने की व्यवस्था करे।
13. अतिरिक्त निदेशक, डीओआईटी, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उपर्युक्त आदेशों की सभी ई-मित्र कियोस्क धारकों से पालना सुनिश्चित कराने हेतु पाबन्द करें।
14. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, कमरा नं. 8318, शासन सचिवालय, जयपुर।
15. राज्य प्रमुख, नेफेड/एनसीसीएफ, जयपुर।
16. संयुक्त निदेशक (व्यापार), आर.एस.डब्ल्यू.सी., जयपुर।
17. क्षेत्रीय प्रबन्धक, सीडब्ल्यूसी, जयपुर।
18. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजफेड, जयपुर-उक्त आदेश राजफेड वेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।
19. प्रबन्धक (भण्डारण), राजफेड, जयपुर।
20. सहायक प्रबन्धक, आईटी शाखा, राजफेड, जयपुर।
21. सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।

प्रबन्ध निदेशक

(Dr. Kartikeya Misra)
General Manager (Commerce)
Rajfed, Jaipur

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट-1 (11)

Annexure

FAQ Specification of Kharif Pulses & Oilseeds

Fair Average Quality (FAQ) Grade Specifications of Arhar (Tur), Moong & Urad for procurement under Price Support Scheme (PSS)

Pulses shall have reasonably uniform size, shape and colour.
Pulses shall be sweet, clean, wholesome and free from moulds, weevils, obnoxious smell, discoloration, admixture of deleterious substances (including added colouring matter) and all other impurity except to the extent indicated in the schedule.

Sr. No	Special Characteristics	Maximum limits of tolerance (% by weight per qtl.) for FAQ
1.	Foreign matter	2
2.	Admixture	3
3.	Damaged pulses	3
4.	Slightly damaged pulses	4
5.	Immature and shrivelled pulses	3
6.	Weevilled pulses	4
7.	Moisture	12

1. Foreign matters include dust, stones, lumps of earth, chaff husks stem, straw or any other impurity including edible and non-edible seeds.
2. Admixture means any pulses other than the principal pulses.
3. Damaged pulses are those pulses that are internally/damaged or discoloured to such an extent that the damage or discolouration materially affects the quality of the pulses.
4. Slightly damaged pulses are those pulses that are superficially damaged or discoloured such damage or discolouration not materially affecting the quality of the pulses.
5. Immature and shrivelled pulses are those pulses that are not properly developed.
6. Weevilled pulses are those pulses that are partially or wholly bored or eaten by weevil or other grain insects.

(13)

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Fair Average Quality (FAQ) Grade Specifications of Groundnut-in-shell for procurement under Price Support Scheme (PSS)

Sr. No	Special Characteristics	Maximum limits of tolerance. (% by weight per qtl.) for Bold FAQ	Ginny FAQ
1.	Foreign matter	2	2
2.	Damaged Pods	2	2
3.	Shrivelled & immature pods	4	4
4.	Pods of other varieties	4	4
5.	Shelling (kernels/pods)	65 & above	70 & above
6.	Moisture content	8	8

Definitions:

1. Foreign matters mean dust, dirt, stones, lumps of earth, chaff, stem/straw or any other impurity;
2. Damaged pods are those pods that are damaged mechanically or by mould, weevil or any other insect attack or those showing internal discolouration of kernels materially affecting the quality of the pods;
3. Shrivelled & immature pods are those pods which are imperfectly develop d;
4. Pods of other varieties means pods of unknown varieties other than is being procured;
5. Shelling means per cent of kernels recovered from Groundnut pods.

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Fair Average Quality (FAQ) Grade Specifications of Soyabean for procurement under Price Support Scheme (PSS)

Sr. No	Special Characteristics	Maximum limits of tolerance (% by weight per qtl.) for FAQ
1.	Foreign matter & impurities	2
2.	Shrivelled, immature beans & discoloured	5
3.	Damaged & Weevilled beans	3
4.	Mechanically damaged beans (Split, broken & crack)	15
5.	Moisture content	12

Definitions:

1. Foreign matters & impurities includes dust, dirt, stones, lumps of earth, chaff, stem/straw or any other impurity;
2. Shrivelled & immature beans that are shrunk, out of shape, or are not fully matured or developed and are often discoloured;
3. Damaged & weevilled beans means beans or pieces of these which have sprouts or are internally damaged as a result of heat, moisture, insect of microbial action;
4. Mechanically damaged beans means the split, broken and crack seeds.

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

परि०-2

Government of Rajasthan
Agriculture (Group-1) Department,
Rajasthan, Jaipur

No.F.9(3)Agri.-1/Input/2025 Jaipur, Dated:- Signed date.

NOTIFICATION

Under the Price Support Scheme (PSS) for the procurement of kharif pulses crops **Moong and Urad** kharif oilseed crops **Soyabean and Groundnut** on Minimum Support Prices during KMS 2025-26, as per the guidelines of GOI, a notification regarding expected production and peak arrival period of these crops in Rajasthan State is required to be issued as part of the proposal.

Therefore, Government of Rajasthan hereby notifies and declares the area, expected production, yield & peak arrival period along with sowing and harvesting time period for kharif pulses crops **Moong and Urad** kharif oilseed crops **Soyabean and Groundnut** in the State of Rajasthan as under:-

Kharif Crops 2025	Sowing period	Harvesting period	Peak arrival period	Sown Area (Ha.)	Expected Production* (Tonnes)	Yield* (Kg/Ha.)
Moong	June-July 2025	Sept-Nov 2025	Oct-Dec 2025	2374596	1674961	705
Urad				312599	168436	539
Soyabean	May-July 2025	Oct-Nov 2025	Oct-Dec 2025	975853	1089384	1116
Groundnut			15 Oct 2025-Jan 2026	1000133	2465468	2465

*As on August 2025

By order and in the name of Governor

(Navratan Koli)
Deputy Secretary to Govt.

No.F.9(3)Agri.-1/Input/2025 Jaipur, Dated:- Signed date.

Copy to following for information and necessary action:-

1. Addl. Chief Secretary to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
2. SA to Hon'ble Agriculture Minister, Rajasthan, Jaipur.
3. SA to Hon'ble Minister, Food & Civil Supply Rajasthan, Jaipur.
4. SA to Hon'ble Minister, Co-operative, Rajasthan, Jaipur.
5. PS to Principal Secretary, Food & Civil Supply, Rajasthan, Jaipur.
6. PS to Principal Secretary, Co-operative, Rajasthan, Jaipur.
7. PS to Registrar, Co-operative, Rajasthan, Jaipur.
8. PS to Secretary, Agriculture & Horticulture, Rajasthan, Jaipur.
9. PS to Commissioner of Agriculture, Rajasthan, Jaipur.
10. Joint Secretary, Co-operative, Rajasthan, Jaipur.
11. Director, Agriculture Marketing, Rajasthan Jaipur.
12. Managing Director, RAJFED, Rajasthan, Jaipur.
13. Additional Food Commissioner, Food & Civil Supply, Rajasthan, Jaipur.

Deputy Secretary to Govt.

Document certified by Navratan Koli <malviyapiyush67@gmail.com>.

Digitally Signed by Navratan Koli
Designation : Deputy Secretary To Government
Date :23-09-2025 06:43:41

RajKaj Ref No.: 17905144
eSign DSC

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

परि.-3

राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः—एफ6(iii) आकृ/मुसाअ/प्रक्यो—द0—ति0/2025/ दिनांक

प्रबन्धक निदेशक,
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय—विक्रय,
संघ लि., 4 भवानी सिंह रोड़, जयपुर।

विषयः—आगामी खरीफ सीजन 2025 में समर्थन मूल्य पर दलहन, तिलहन की खरीद हेतु नोटिफिकेशन, सम्भावित बुआई, उत्पादन एवं आवक की मुख्य अवधि की सूचना बाबत्।

प्रसंगः—आपके कार्यालय पत्र क्रमांकः—वाणिज्य/2025—26/राजकाज—17315165 दिनांक 21.08.2025 तथा अ.शा. पत्र क्रमांकः— सह/2025—26/4578 जयपुर, दिनांक 16.09.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के द्वारा आगामी खरीफ सीजन 2025 में समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली की खरीद हेतु जिलेवार बुवाई, सम्भावित उत्पादन, उत्पादकता की सूचना (राजस्व मण्डल, अजमेर से प्राप्त प्रथम अग्रिम अनुमान अनुसार) के साथ विभाग से जारी नोटिफिकेशन (जिन्सों के संभावित उत्पादन एवं आवक की मुख्य अवधि) की सूचना चाही गयी है।

अतः मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली एवं मोटे अनाज के जिलेवार क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता की जिलेवार सूचना संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है एवं **नोटिफिकेशन जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।**

सलंग्न — उपर्युक्तानुसार।

(टी0सी0 गुप्ता)
संयुक्त निदेशक कृषि (सांख्यिकी)

क्रमांकः—एफ6(iii) आकृ/मुसाअ/प्रक्यो—द0—ति0/2025/ दिनांक

प्रतिलिपिः— उप शासन सचिव कृषि (ग्रुप—1) विभाग जयपुर को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।

संयुक्त निदेशक कृषि (सांख्यिकी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Trilok Chand Gupta
Designation : Joint Director
Date: 2025.09.19 18:04:11 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17894454
eSign 1.0

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

First Advance Estimates of Area, Production and Yield of Pulses during Kharif 2025

AREA-HA. PRODUCTION-Tonnes YIELD-Kg./HA.

S.NO	DIST	MOONG			URAD		
		AREA	PRO*	Yield*	AREA	PRO*	Yield*
1	AJMER	105332	52139	495	30419	10707	352
2	ALWAR	8	3	375	0	0	-
3	BALOTRA	52741	39500	749	0	0	-
4	BANSWARA	2	2	1000	807	323	400
5	BARAN	194	69	356	7666	1600	209
6	BARMER	10442	6885	659	0	0	-
7	BEAWAR	65384	46161	706	1525	1479	970
8	BHARATPUR	0	0	-	61	31	508
9	BHILWARA	8863	4765	538	48305	26001	538
10	BIKANER	52000	41600	800	0	0	-
11	BUNDI	82	50	610	79183	48224	609
12	CHITTOR	660	528	800	4963	3970	800
13	CHURU	334954	232686	695	3	2	667
14	DAUSA	788	390	495	25	13	520
15	DEEDWANA-KUCHAMAN	166600	129240	776	1	1	1000
16	DEEG	0	0	-	0	0	-
17	DHOLPUR	40	60	1500	20	22	1100
18	DUNGARPUR	3	2	667	1484	1499	1010
19	GANGANAGAR	255666	255666	1000	0	0	-
20	HANUMANGARH	126144	104700	830	0	0	-
21	JAIPUR	94031	45135	480	481	289	601
22	JAISALMER	44100	17640	400	0	0	-
23	JALORE	99654	115076	1155	0	0	-
24	JHALAWAR	1522	1065	700	15431	9235	598
25	JHUNJHUNU	54639	63070	1154	1	1	1000
26	JODHPUR	203000	105560	520	5	2	400
27	KAROLI	9	8	889	22	12	545
28	KHERTHAL-TIJARA	0	0	-	0	0	-
29	KOTA	71	28	394	13078	5231	400
30	KOTHPUTLI-BEHROR	110	88	800	0	0	-
31	NAGAUR	409537	245722	600	0	0	-
32	PALI	164857	79131	480	752	376	500
33	PHALODI	19203	19676	1025	0	0	-
34	PRATAPGARH	20	20	1000	260	260	1000
35	RAJSAMAND	1391	1391	1000	1107	1107	1000
36	S.MADHOPUR	3796	610	161	29635	4450	150
37	SALUMBER	39	31	795	754	747	991
38	SIKAR	39635	32904	830	0	0	-
39	SIROHI	4500	1688	375	3060	1163	380
40	TONK	54429	31554	580	69178	47382	685
41	UDAIPUR	150	118	787	4373	4309	985
	TOTAL STATE	2374596	1674961	705	312599	168436	539

Note:-* अगस्त 2025 की स्थिति के अनुसार है।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

First Advance Estimates of Area, Production and Yield of Oilseeds during Kharif 2025

AREA-HA. PRODUCTION-Tonnes YIELD-Kg./HA.

S.NO	DIST	SOYABEEN			GROUND-NUT		
		AREA	PRO*	Yield*	AREA	PRO*	Yield*
1	AJMER	40	42	1050	2727	5519	2024
2	ALWAR	0	0	-	24	41	1708
3	BALOTRA	0	0	-	3132	5500	1756
4	BANSWARA	75461	101872	1350	126	291	2310
5	BARAN	156014	154142	988	1341	972	725
6	BARMER	0	0	-	3334	6225	1867
7	BEAWAR	0	0	-	987	1004	1017
8	BHARATPUR	11	11	1000	0	0	-
9	BHILWARA	3937	6201	1575	16858	22105	1311
10	BIKANER	0	0	-	290000	870000	3000
11	BUNDI	35322	28320	802	106	201	1896
12	CHITTOR	101149	142620	1410	31936	48511	1519
13	CHURU	0	0	-	87662	245305	2798
14	DAUSA	0	0	-	14921	26007	1743
15	DEEDWANA-KUCHAMAN	0	0	-	20782	27298	1314
16	DEEG	0	0	-	0	0	-
17	DHOLPUR	0	0	-	5	6	1200
18	DUNGARPUR	47388	37008	781	3	3	1000
19	GANGANAGAR	0	0	-	4209	9260	2200
20	HANUMANGARH	0	0	-	16844	34193	2030
21	JAIPUR	0	0	-	35191	66863	1900
22	JAISALMER	0	0	-	98600	246500	2500
23	JALORE	0	0	-	57211	138574	2422
24	JHALAWAR	242214	290656	1200	4350	9487	2181
25	JHUNJHUNU	0	0	-	17720	31121	1756
26	JODHPUR	0	0	-	50750	142100	2800
27	KAROLI	19	19	1000	31	30	968
28	KHERTHAL-TIJARA	0	0	-	538	1024	1903
29	KOTA	138546	131619	950	575	460	800
30	KOTHPUTLI-BEHROR	0	0	-	225	405	1800
31	NAGAUR	0	0	-	23885	32244	1350
32	PALI	0	0	-	199	438	2201
33	PHALODI	0	0	-	127926	315205	2464
34	PRATAPGARH	120670	120670	1000	11720	18752	1600
35	RAJSAMAND	1570	1570	1000	879	1099	1250
36	S.MADHOPUR	2688	3170	1179	3130	3600	1150
37	SALUMBER	20194	28473	1410	31	33	1065
38	SIKAR	0	0	-	32755	101899	3111
39	SIROHI	0	0	-	15650	30361	1940
40	TONK	378	336	889	22019	20941	951
41	UDAIPUR	30252	42655	1410	1751	1891	1080
	TOTAL STATE	975853	1089384	1116	1000133	2465468	2465

Note:-* अगस्त 2025 की स्थिति के अनुसार है।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट-4

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक 3(2)राज-6/2007/पार्ट/5 जयपुर, दिनांक: 12.09.2018

1. समस्त संभागीय आयुक्त
2. समस्त जिला कलेक्टर
   राजस्थान।

परिपत्र

इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प 2 (4) राज 4/98/37 दिनांक 13.12.1991 के अन्तर्गत मंदिर माफी/देवमूर्ति की भूमियों के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये थे:-

1. भविष्य में जो जमाबंदी राजस्व विभाग या बंदोबस्त विभाग द्वारा बनाई जाए, उनमें देवमूर्ति के साथ पुजारी या सेवायत का नाम नहीं लिखा जाए।
2. प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मंदिर के पुजारियों के संबंध में तहसील स्तर पर संलग्न प्रोफार्मा मे अलग से रखा जाए, जिसमें जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि है, उनके पुजारियों के नाम का अंकन किया जाए।
3. जो जमाबंदी बन चुकी है तथा वर्तमान में प्रभावशील है, उनमें देवमूर्ति के साथ जहां भी पुजारी का नाम आया है वहां पुजारी का नाम विलोपित कर दिया जाए तथा ऊपर वर्णित रजिस्टर में लिखा जाए, इस बावत स्पष्ट नोट जमाबंदी के रिमार्क के कॉलम में अंकित किया जाए।

इसका संभावित उददेश्य यह था कि मंदिर भूमि का विधि विरूद्ध रूप में रहन या विक्रय न हो सके। इस आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी से पुजारियों के नाम हटाएं गए।

उक्त परिपत्र में दिये गये निर्देशों की सही क्रियान्विति नही करने या गलत व्याख्या करने के कारण मन्दिर माफी की भूमियों के संबध में समस्याए राज्य सरकार के ध्यान में लाई गई। अतः राज्य सरकार के ध्यान में लाई गई समस्याओं के निराकरण हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैः-

1. पूर्व परिपत्र दिनांक 13.12.91 की पालना में जमाबन्दी में मूर्तिमंदिर के साथ पुजारी का नाम विलोपित करने के साथ यदि पृथक से इस हेतु संधारित रजिस्टर में उसका अंकन नही किया गया हो तो

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 13.12.91 को जमाबन्दी में अंकित पुजारी / संवायत का नाम इस हेतु पूर्व निर्देशित पृथक रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाये।

2. राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 के अन्तर्गत खातेदार पट्टेदार खादिमदार के रूप में पुजारियों को मिली खातेदारी वाले पुजारी जिनका गलत रूप में विलोपन कर दिया गया है और जिन्हे पुनः खातेदारी दी जा सकती है। इस संबंध मे पूर्व में राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के उपरान्त दिनांक 24.5.2007 व परिपत्र दिनांक 25.11.2011 को जारी परिपत्र में इन्हें खातेदारी दिये जाने हेतु निर्देश व स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है, जिनका प्रकरणवार विधिक परीक्षण कर सही पाये जाने पर खातेदार बन चुके पुजारियो के नाम जमाबन्दी के खातेदार के कॉलम में अंकित किए जाने की यथोचित कार्यवाही की जाए।

3. परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के प्रावधानुसार मंदिर की भूमियों हेतु पृथक पंजिका बना कर उसमें पुजारियों के नाम दर्ज किये जावे, उसको पारदर्शी एवं नियमित रूप से अद्यतन रखने हेत पंजिका को ऑनलाईन कम्प्यूटराईज्ड रूप में एल.आर.सी. पर जमाबंदी से लिंक किये जाने की कार्यवाही की जाये। मंदिर से संबधित खाते की जमाबन्दी की नकल के साथ आवश्यक रूप से पुजारी का यह प्रपत्र अपने समुचित प्राधिकार के साथ जारी / प्रदान किया जाएगा।

4. मंदिर भूमि हेतु परिपत्र दिनांक 13.12.1991 द्वारा निर्धारित पंजिका में वर्णित पुजारी मंदिर भूमि के संरक्षक के रूप में निम्नानुसार अनुमत / प्राधिकृत होंगे:—

- मंदिर, भूमि के विकास के लिए संबधित विभाग के नियमानुसार विद्युत, पेयजल, ट्यूबवेल आदि के लिए कनेक्शन हेतु।
- फराल खराबे की स्थिति में नियमानुसार सहायता अनुदान हेतु।
- कृषि विभाग की योजना अनुसार भूमि सीमा में पात्र होने पर बीज, कृषि उपादान आदि पर नियमानुसार अनुदान प्राप्त करने हेतु।
- इसी प्रकार राज्य सरकार की अन्य योजनाओं, जिसमें भूमि रहन न होती हो, उसमें उन्हे यथा प्रावधान लाभ दिया जा सकेगा।
- मंदिर के नाम बैंक खाता होने पर इसका संचालक एवं उपयोगकर्ता पुजारी को बनाया जा सकेगा। इसमें प्रत्येक पुजारी बहैसियत मंदिर के संरक्षक के रूप में नियमानुसार योजनांतर्गत लाभ हेतु अनुमत / प्राधिकृत होगा।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

5. मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेंगे जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरूद्ध करते हैं तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होंगे। जिला कलक्टर मूर्तिमंदिर की भूमि संबंधी अतिक्रमण रिपोर्ट सिवायचक/चारागाह भूमि की तरह राजस्व कर्मियों से नियमित रूप से प्राप्त कर धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत उनके प्रकरण दर्ज कर तद्नुसार प्रभावी निस्तारण करेंगे।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. शासन सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निबंधक राजस्व मण्डल, अजमेर।
3. जागीर आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट-5

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

RAJFED

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांकः फा.1/ई-बिड/एच.एन.टी./लेखा/2025-26/ 6014-6116 दिनांकः 10-02-2025

उप पंजीयक,
सहकारी समितियाँ,
....

विषयः-वर्ष 2025-26(अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन(रबी व खरीफ) खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य की दरों के निर्धारण/प्रक्रिया बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि राजफैड द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) में समर्थन मूल्य पर नेफैड के लिये दलहन/तिलहन (रबी व खरीफ) की खरीद की जानी है। इसके अन्तर्गत हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य के लिये फर्मो/आवेदकों/ठेकेदारों एवं दरों का निर्धारण किया जाना है। राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार हैण्डलिंग एवं परिवहन व्यवस्था हेतु क्रय-विक्रय सहकारी समिति स्तर पर जिले के उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ के अध्यक्षता में गठित कमेटी के माध्यम से ई-बिड प्रक्रिया सम्पन्न की जानी है।

1- राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनसुार हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य के लिये समस्त उप रजिस्ट्रार,सहकारी समितियाँ द्वारा जिलें की संबंधित सदस्य समितिवार ऑन-लाईन द्वि-प्रक्रमी बिड प्रणाली(टू-बिड) के अनुसार ई-बिड जारी की जावें। हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य के लिये दर प्राप्ति एवं प्रक्रिया निम्नानुसार की जानी होगी :-

1.1 **हैण्डलिंग कार्य :**

मंडी में खरीद की जाने वाली जिन्सों में निम्न मदों के हैण्डलिंग कार्य कराये जाते है :-

अ-कृषक स्तर के कार्य

कृषक के वाहन से जिन्स उतारना, छनाई/ग्रेडिंग कराना,कट्टे में भरना एवं कट्टे को कांटे पर रखना।

ब-समिति स्तर के कार्य

इसमें रंग मार्का, विवरण का टैग, क्यू.आर.कोड़ यदि लागू हो तो, यथासंभव मशीन से सिलाई, स्टेक लगाना, तुलाई, उतराई, ट्रक में लोडिंग करना आदि के व्यय (अधिकतम 10 प्रतिशत व्यय) सम्मिलित है। हैण्डलिंग कार्य के लिए आधार दर सम्बन्धित कृषि उपज राजकीय मंडी की दर होगी। ई-बिड में प्राप्त दरें तथा खरीद केन्द्र से सम्बन्धित राजकीय कृषि उपज मंडी समिति की दरों जो भी कम हो वही दर मान्य होगी। हैण्डलिंग कार्य में मंडी दर आधार दर से 10 प्रतिशत कम तक ही दर की बिड़ स्वीकार होगी। इस सीमा से कम दर की हैण्डलिंग कार्य की निविदा स्वीकार नहीं होगी। हैण्डलिंग कार्य के लिए बिड में प्राप्त दर तथा सम्बन्धित राजकीय कृषि उपज मंडी की निर्धारित दर दोनों में जो भी दर कम हो वह दर मान्य होगी।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

RAJFED

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.

RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

1.2 परिवहन कार्य ::

1.2(1) परिवहन कार्य हेतु क्रय किये गये दलहन/तिलहन परिवहन के लिए आधार दर इकजाई पीडीएस दर (26.39 रू. प्रति क्विं.) होगी। बिड में प्राप्त दर, परिवहन की आधार दर से अधिकतम 10 प्रतिशत कम की सीमा तक मान्य होंगी। निविदादाता द्वारा इस सीमा से कम दर पर दी गई दरें अव्यवहारिक होने से अमान्य होगी। यदि निविदा में एल-1 निविदादाता द्वारा हैण्डलिंग आधार दर व पीडीएस आधार के बराबर दर दी जाती है तो इन आधार दर पर प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। यदि बिड में पीडीएस आधार दर से अधिक दरें प्राप्त होती है तो निर्धारित कमेटी द्वारा एल-1 बिडदाता से नेगोसियेशन किया जा सकेगा।

1.2(2) नेगोसियेशन पश्चात समिति द्वारा यदि दरें नेगोशिएटेड दरें पीडीएस आधार दर से 20 प्रतिशत अधिकतम तक सीमा में निश्चित होती है तो निविदा समिति अपनी अनुशंसा सम्बन्धित जिला स्तरीय निविदा समिति की अनुशंसा के आधार पर जिला कलेक्टर की स्वीकृति व अनुशंसा सहित प्रकरण राजफैड मुख्यालय को प्रेषित किये जायेंगे और कतिपय प्रकरणों विशिष्ट प्रकरणों में राजफैड मुख्यालय द्वारा पीडीएस से आधार दर से अधिक दरों की स्वीकृति प्रशासक राजफैड एवं मुख्य सचिव,राजस्थान से अनुमति Case to Case Basis आधार पर ली जाकर नेफैड की स्वीकृति हेतु प्रेषित की जायेंगी।

1.2(3) ई-बिड में हैण्डलिंग एवं परिवहन(दोनों) कार्य हेतु प्राप्त दरें 10 प्रतिशत से कम की सीमा तक ही स्वीकार की जायेंगी। पूर्व में ऐसा देखने में आया है कि कतिपय ठेकेदार बिड को खराब करने के लिए बहुत कम दर भरते है तथा बाद में उक्त पर कार्य भी नहीं करते है। यदि प्राप्त दरें (हैण्डलिंग एवं परिवहन दर) आधार दर से 10 प्रतिशत कम हैं तो आधार दर की सीमा तक उतनी अतिरिक्त प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।

2- अन्य दिशा-निर्देश :-

2.1- प्रवृत्त दिशा-निर्देशों के अनुसार निविदा प्रक्रिया समर्थन मूल्य पर खरीद चालू होने से पूर्व पूर्ण की जानी चाहिये। किसी कारण से देरी हो जावे तो सक्षम स्तर से सहमति पश्चात किसी भी परिस्थिति में संबंधित खरीद सीजन समाप्ति दिनांक तक यह कार्य पूरा कर लिया जाना चाहिये। इसकी सुनिश्चिता क्षेत्रीय कार्यालयों व उपरजिस्ट्रार कार्यालय स्तर से की जावेगी।

2.2- हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य हेतु वर्ष 2025-26 में आमंत्रित निविदा में स्वीकृत दरें दोनो सीजन (रबी व खरीफ) अर्थात पूरे वर्ष 2025-26 के लिए लागू होगी। मूंगफली के लिए हैण्डलिंग एवं परिवहन की दरें संवेदक निविदा प्रपत्र में पृथक से भरी जावेगी। यदि रबी के खरीद के दौरान कोई निविदा नहीं आती है और उसकेन्द्र पर खरीद भी नहीं हो। और अतिआवश्यक हो तो आगामी खरीफ सीजन के लिए निविदा इन दिशा-निर्देशों के क्रम में की जा सकेगी।

2.3- यदि कोई फर्म एक सीजन के लिए कार्य करने के उपरांत और दूसरे सीजन के लिए कार्य करने से मना करती है तो संबंधित उपापन संस्था द्वारा निविदा शर्त व अनुबंध प्रावधान के साथ-साथ आरटीपीपी एक्ट व नियम के अनुसार दोषी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए नये सीजन बाबत निविदा कार्यवाही तुरन्त प्रारम्भ कर पूर्ण की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

RAJFED

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

2.4– मंडी दरों के अनुमोदन के लिए खरीद सीजन प्रारम्भ होने से पूर्व ही समस्त मंडी समितियों से कृषि विपणन निदेशालय के माध्यम से उप रजिस्ट्रार,सहकारिता कार्यालयों द्वारा तत्समय की प्रमाणित मंडी दरें प्राप्त कर ही निविदा कार्यवाही की जावें।

2.5– उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित उप रजिस्ट्रार,सहकारिता द्वारा जिले की सदस्य समितिवार ई–बिड के माध्यम से दो लिफाफा बिड प्रणाली के अन्तर्गत प्रवृत्त दिशा–निर्देशों व निविदा प्रपत्र सहित आर.टी.पी.पी. एक्ट एवं नियमों के अनुसार बिड जारी की जानी होगी।

2.6– जिन स्थानों पर दो बार खुली ई–निविदा आमंत्रित करने के बाद निविदा प्राप्त नहीं होती है तो वहाँ कारण अंकित करते हुये उप रजिस्ट्रार,सहकारिता स्तर की निविदा समिति द्वारा सम्बन्धित जिला कलेक्टर की अनुमति प्राप्त कर हैण्डलिंग कार्य मण्डी दर (आधार दर) पर और परिवहन कार्य पीडीएस आधार दर पर निविदा शर्तों के अनुसार पात्रता रखने वाले स्थानीय संवेदकों से सीमित निविदा/कोटेशन/एकल निविदा की कार्यवाही कर निविदा शर्तों के अनुसार पात्रता रखने वाले संवेदक/संस्था को संबंधित उप रजिस्ट्रार,कार्यालय द्वारा जिला कलक्टर के अनुमोदन उपरांत ही हैण्डलिंग एवं परिवहन संवेदक कार्य हेतु अनुशंसित किया जायेगा। एकल निविदा प्रकरण में चिन्हित कार्यकारी एजेन्सी के निविदा शर्तों के अनुसार पात्रता रखने संबंधी सुनिश्चिता संबंधित उप रजिस्ट्रार,कार्यालय द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। यदि कोई सदस्य समिति स्वंय हैण्डलिंग एवं परिवहन का कार्य करती है तो उसे भी निविदा शर्तों के अनुसार पात्रता रखते हुये निविदा कार्यवाही में भाग लेना आवश्यक है तथा उसके द्वारा भी सभी पात्रता सहित संविदा/अनुबन्ध की शर्तों की पालना भी पूर्ण करनी होगी। सदस्य समिति द्वारा स्वंय हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य करने की स्थिति में जिला कलक्टर व उप रजिस्ट्रार द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि सदस्य समिति द्वारा पात्रता संबंधी समस्त शर्तों की पूर्ति कर ली है तथा वे इससे संतुष्ट है। कार्यकारी संस्था/संवेदक के लिए निविदा शर्तों और दिशा–निर्देशों की पालना अनिवार्य होगी।

राज्य के विभिन्न क्रय केन्द्रों के लिये हैण्डलिंग एवं परिवहन के कार्यो हेतु रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के पत्र क्रमांक 15(27)संविरा/मार्के/स.मू.चना व सरसों/2018–19 दिनांक 28.03.2018 द्वारा राज्य के विभिन्न क्रय केन्द्रों के लिये हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य की बिड खोलने एवं अन्तिम रूप दिये जाने हेतु निम्न कमेटी गठित है :–

सम्बन्धित इकाई का उप पंजीयक	–	अध्यक्ष
जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि	–	सदस्य
सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड/प्रतिनिधि	–	सदस्य
नेफैड का प्रतिनिधि	–	सदस्य
सम्बन्धित व्यवस्थापक ,क्र., वि.स.स.	–	सदस्य सचिव

उक्त कमेटी की अनुशंसा पर सम्बन्धित फर्म/आवेदक/ठेकेदार को कार्य आदेश सम्बन्धित क्रय–विक्रय सहकारी समिति द्वारा दिया जावेगा। फर्म /आवेदक/ठेकेदारों की ब्लैकलिस्टेड की सूची एवं निविदा प्रपत्र राजफैड की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त निविदा प्रपत्र शर्तों में इस बाबत घोषणा पत्र की पालना आवश्यक करावें।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740078
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

किसी संशय अथवा समस्या के उत्पन्न होने की स्थिति में राजफैड से दिशा-निर्देश प्राप्त करें,ताकि सभी जगह एकरूपता बनी रहें।

रबी 2025 की खरीद प्रक्रिया मध्य 15 मार्च 2025 से प्रारम्भ होना संभावित है। अतः समस्त रूप से 10 मार्च 2025 तक बिड प्रक्रिया पूर्ण कर हैण्डलिंग एवं परिवहन की दरें निर्धारित कराकर सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को कार्य आदेश जारी दिया जाना सुनिश्चित कर राजफैड मुख्यालय को अवगत करावें।

निविदा कार्य समय पर पूर्ण हो इस हेतु प्रशासक राजफैड एवं मुख्य सचिव,राजस्थान की ओर से एक पत्र पृथक से सम्बन्धित जिला कलेक्टर एवं रजिस्ट्रार,सहकारिता को प्रेषित कर दिया गया है।

समस्त उप रजिस्टार,सहकारिता अपने अधीनस्थ खरीद केन्द्र के क्षेत्र अधिकार वाली राजकीय मंडी दरों का विवरण खरीद सीजन प्रारम्भ होने से निविदा पूर्व ही कृषि विपणन निदेशालय के माध्यम से तत्समय प्रमाणित मंडी दरें प्राप्त कर लेवें।

पत्र के साथ ही सक्षम स्तर से अनुमोदित निविदा प्रपत्र शर्तों इत्यादि संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। आप अपने क्षेत्र से सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैड से अविलम्ब सम्पर्क व सहयोग प्राप्त कर उक्त कार्य सम्पादित करावें।

भवदीय,

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

(टीकम चन्द बोहरा)
प्रबन्ध संचालक,राजफैड

प्रतिलिपिः-
1- निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार,सहकारिता विभाग,जयपुर।
2- निजी सचिव,जिला कलक्टर,..।
3- अतिरिक्त रजिस्ट्रार,सहकारी समितियाँ,अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/जयपुर/उदयपुर/भरतपुर।
4- राज्य प्रमुख,नेफैड,जयपुर।
5- महाप्रबन्धक(वित्त एवं लेखा/वाणिज्य/कृषि आदान/मा.सं.वि.)राजफैड,जयपुर।
6- क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैड-अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/कोटा/जोधपुर/श्रीगंगानगर/जयपुर/उदयपुर।

(टीकम चन्द बोहरा)
प्रबन्ध संचालक,राजफैड

12

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट-6

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांकः फा.1/ई-बिड/एच.एन.टी./लेखा/2025-26/5971-6013 दिनांकः 10-02-2025

जिला कलक्टर,

....

विषयः-वर्ष 2025-26 के लिए रबी व खरीफ(दोनों) सीजन के लिए समर्थन मूल्य पर जिंस खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन की निविदा समय पूर्व करने हेतु।

महोदय,

जैसा कि विदित है कि हर वर्ष की भाँति इस वर्ष 2025-26 में भी भारत सरकार के निर्देशानुसार नेफैड/एफ.सी.आई. के लिए रबी व खरीफ सीजन के लिए जिंसों की खरीद की जानी हैं। अतः यह निर्णय हुआ हैं कि हर वर्ष की भाँति वर्ष 2025-26 में भी सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांकः 15(27)सविरा/मार्के/स.मू. चना व सरसों/2018-19 दिनांक 28.03.2018 के अनुसार उप रजिस्ट्रार,सहकारी समितियॉ,राजस्थान सरकार द्वारा निविदा प्रक्रिया सम्बन्धित जिला कलक्टर की देख रेख में उक्तानुसार प्रवृत्त दिशा-निर्देशों व निविदा शर्तो के अनुसार यह कार्य दिनांक 10.03.2025 तक सम्पूर्ण किया जावें।

मुख्य सचिव महोदय एवं संघ के प्रशासक के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में निवेदन है कि आपके अधीन सम्बन्धित उप रजिस्ट्रार,सहकारी समितियॉ को निर्देशित कर सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित उक्त निविदा कार्यवाही समय पर पूर्ण कर ली जावें।

भवदीय,

(टीकमचन्द बोहरा)
प्रबन्ध संचालक,राजफैड

प्रतिलिपिः-

1- निजी सचिव,रजिस्ट्रार,सहकारी समितियॉ, राजस्थान-जयपुर।
2- मुख्य सर्तकता अधिकारी एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार(मार्के),सहकारी समितियॉ, जयपुर को भेजकर लेख है कि आपके अधीन सभी उपरजिस्ट्रार,सहकारी समितियॉ को दिनांक 10.03.2025 तक निविदा कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश जारी करें।

(टीकमचन्द बोहरा)
प्रबन्ध संचालक,राजफैड

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

परिशिष्ट-7

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांक:फा.01/ई-निविदा/लेखा/2025-2026/ 6668-6774

दिनांक: 05-03-2025

संशोधित निविदा की शर्तें

अत्यावश्यक

उप रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ,
समस्त।

विषयः-वर्ष 2025-2026 के दोनों सीजन (रबी व खरीफ) में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन की खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन निविदाओं के संबंध में।

प्रसंगः-राजफेड के पूर्व पत्रांकः 6196-6295 दिनांक 10.02.2025 व पत्रांकः 6544-6642 दिनांक 04.03.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम अनुरोध है कि वर्ष 2025-2026 के दोनों सीजन (रबी व खरीफ) में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन की खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन निविदाओं में पूर्व जारी दिशा-निर्देशों व निविदा प्रपत्र में संशोधन किया गया है। जो कि निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं	वर्तमान शर्तें	संशोधित शर्तें
1.	**चैक लिस्ट संख्याः 8 व बोली की अन्य शर्तें संख्या 7 में** :- गत पाँच वर्षों में से अन्तिम तीन वर्षों का हैण्डलिंग कार्य हेतु (क्रय-विक्रय सहकारी समिति/आर.एस.डब्ल्यू.सी./ सी.डब्ल्यू. सी./भारतीय खाद्य निगम) एवं परिवहन कार्य हेतु दलहन/तिलहन/खाद्यानों सम्बन्धित परिवहन कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र दिया जाना होगा।	गत सात वर्षों में से दो वर्षों में हैण्डलिंग/परिवहन कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा। किंतु अनुभव नहीं रखने वाले निविदादाता निविदा आवेदन के साथ टेण्डर वेल्यू की 20 प्रतिशत राशि बैंक गारंटी के रूप में संबंधित उपापन संस्था/उपापन इकाई (Procurement Entity) में जमा कराना अनिवार्य होगा।
2.	**चैक लिस्ट संख्याः 9 व बोली की अन्य शर्तें संख्या 8 में** :- गत पाँच वर्षों में से कुल टर्नओवर प्रतिवर्ष न्यूनतम 70.00 लाख रू. हो जिसमें लगातार अन्तिम तीन वर्षों का न्यूनतम 50.00 लाख रू. का टर्नओवर खाद्यानों के परिवहन व हैण्डलिंग कार्य से हुआ हो। टर्नओवर की पुष्टि हेतु सनदी लेखाकार से प्रमाणित लेखें (व्यापार खाता, लाभ-हानि खाता, बेलेन्स शीट) के आधार पर सनदी लेखाकार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।	गत सात वर्षों में औसत 20.00 लाख रू. का टर्नओवर हो। टर्नओवर की पुष्टि हेतु सनदी लेखाकार से प्रमाणित लेखें (व्यापार खाता, लाभ-हानि खाता, बेलेन्स शीट) के आधार पर सनदी लेखाकार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3.	**चैक लिस्ट संख्याः 11 व बोली की अन्य शर्तें संख्या 15 में** :- हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदार द्वारा न्यूनतम स्वंय के नाम से कम से कम 10 ट्रकों के रजिस्ट्रेशन पत्र की प्रतियाँ अथवा उसकी फर्म का 10 ट्रकों का दीर्घकालिक अनुबन्ध होने संबंधी घोषणा पत्र, 100 रू. स्टाम्प पेपर पर, आवेदन के साथ मय विवरण पत्र संलग्न किया जाना होगा।	हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदार द्वारा न्यूनतम स्वंय के नाम से कम से कम 5 ट्रकों के रजिस्ट्रेशन पत्र की प्रतियाँ अथवा उसकी फर्म का 5 ट्रकों का दीर्घकालिक अनुबन्ध होने संबंधी घोषणा पत्र, 500 रू. स्टाम्प पेपर पर व ट्रकों का फिटनेस प्रमाण-पत्र व बीमा प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। जो आवेदन के साथ मय विवरण पत्र संलग्न किया जाना होगा।
4.	यदि कोई सदस्य समिति हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य करने हेतु निविदा में भाग लेती है तो उस समिति को कार्यानुभव देने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही समिति के व्यवस्थापक निविदा कमेटी में सदस्य के रूप में भाग नहीं ले सकेगें। इसके लिए संबंधित उपरजिस्ट्रार के निर्देशानुसार समिति व्यवस्थापक के स्थान पर अन्य सदस्य को निविदा कमेटी में भाग लेने हेतु अधिकृत किया जायेगा। (नयी शर्त जोड़ी गई)	

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

5.	सफल निविदादाता कार्य छोड़कर चला नहीं जाये अथवा खरीदशुदा जिंसों को नहीं ले जा सकें अथवा जिंसो को वेयरहाउस में जमा नहीं करवाकर खुद-बुर्द कर देवें,ऐसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए,इसके लिए सफल निविदादाता से उसको दिये गये कार्यादेश की राशि का 50 प्रतिशत बैंक गारंटी के तौर पर संबंधित उपापन संस्था/उपापन इकाई (Procurement Entity) को जमा करानी होगी, जिसे कार्य संतोषजनक रूप से सम्पादित करने पर लौटा दी जायेगी। (बोली की अन्य शर्ते संख्याः 25 में जोड़ा जाये)

उपरोक्त के संबंध में जिन भी संवेदक/ठेकेदारों/फर्मों/निविदादाताओं द्वारा जो भी राशि निविदा कमेटी को जमा कराई गई, उन्हें वापिस लौटाई जानी है तथा नये सिरे से संशोधित शर्तों के अनुसार राशि जमा की जायेगी।

समर्थन मूल्य पर खरीद शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रही हैं। अतः समयाभाव एवं अत्यावश्यक्ता को मद्देनजर रखते हुए आर.टी.पी.पी. एक्ट व नियमों के अनुसार निविदा आमंत्रित करने की नियत अवधि में शिथिलता प्रदान करते हुए आधी समयावधि में निविदा आमंत्रित किये जाने के निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

उपर्युक्त के अलावा पूर्व में जारी दिशा-निर्देश एवं निविदा-प्रपत्र में शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(टीकम चन्द बोहरा)
प्रबन्ध निदेशक,राजफैड

प्रतिलिपिः-

1- निजी सचिव,माननीय सहकारिता मंत्री महोदय,राजस्थान-सरकार।
2- निजी सचिव,प्रशासक राजफेड व मुख्य सचिव महोदय,राजस्थान-जयपुर।
3- निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव व रजिस्ट्रार महोदया,सहकारिता विभाग,जयपुर।
4- निजी सचिव,जिला कलक्टर,समस्त।
5- निजी सचिव,प्रबन्ध संचालक,राजफैड,जयपुर।
6- अतिरिक्त रजिस्ट्रार,सहकारी समितियॉ,समस्त।
7- महाप्रबन्धक(वित्तीय सलाहकार/वाणिज्य/कृषि आदान/गा.स.वि.)राजफेड-जयपुर।
8- राज्य प्रमुख,नेफैड,जयपुर।
9- क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैड-समस्त को भेजकर अनुरोध है कि उक्तानुसार निविदा की कार्यवाही तत्काल पूर्ण करें।

प्रबन्ध निदेशक,राजफैड

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट - 8

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांक:का.01/ई-निविदा/लेखा/2025-2026/ 6777-6882 दिनांक: 06.03.2025

निविदा की अतिरिक्त शर्तें

URGENT

उप रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ,
समस्त।

विषयः-वर्ष 2025-2026 के दोनों सीजन (रबी व खरीफ) में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन की खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन निविदाओं के संबंध में।

प्रसंगः-राजफेड के पूर्व पत्रांक: 6196-6295 दिनांक 10.02.2025 व पत्रांक: 6544-6642 दिनांक 04.03.2025 के क्रम में व पत्रांक: 6668-6774 दिनांक 05.03.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में वर्ष 2025-2026 के दोनों सीजन (रबी व खरीफ) में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन की खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन निविदाओं में पूर्व जारी दिशा-निर्देशों व निविदा प्रपत्र में नयी शर्तें का समायोजित किया जाना है। जो कि निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं	अतिरिक्त शर्तें
1.	समस्त जिलों में परिवहन कार्य जी.पी.एस. युक्त वाहनों से किया जायेगा। निविदादाता परिवहनकर्ता को अपने स्थायी वाहनों की सूची निविदा फार्म के साथ संलग्न करनी अनिवार्य होगी।
2.	जहाँ ट्रक यूनियन है, वहाँ भी संबंधित निविदादाता द्वारा ट्रकों में जी.पी.एस. डिवाईस लगवाना अनिवार्य होगा। जीपीएस डिवाईस राजफैड द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी।
3.	परिवहनकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाये गये वाहन के ड्राईवर व हेल्पर के मोबाईल नम्बर उपलब्ध कराने होंगें, साथ ही जी.पी.एस. मोनिट्रिंग टीम के साथ परिवहनकर्ता एवं वाहन पर कार्यरत व्यक्तियों को समन्वय स्थापित करना अनिवार्य होगा।

संशोधित शर्ते :-

क्र.सं	संशोधित शर्तें में जोड़ना
1.	**बोली की अन्य शर्तें : 11 में** पूर्व में ब्लेकलिस्टेड/प्रतिबंधित फर्म एवं उसके स्वामी/पार्टनर नये नाम की फर्म/कम्पनी बनाकर भी निविदा में शामिल नहीं हो सकेंगी।
2.	**संशोधित शर्ते के पूर्व पत्रांक: 6668-6774 दिनांक 05.03.2025 के बिन्दु संख्या: 4 में जोड़ा जावें :-** निविदादाता क्रय-विक्रय सहकारी समिति(सोसायटी) होने पर कार्यादेश की राशि का 20 प्रतिशत बैंक गारंटी संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैड के पक्ष में संबंधित उपापन संस्था/उपापन इकाई (Procurement Entity) को जमा करानी होगी, जिसे कार्य संतोषप्रजनक रूप से सम्पादित करने पर लौटा दी जायेगी।
3.	**संशोधित शर्ते के पूर्व पत्रांक: 6668-6774 दिनांक 05.03.2025 के बिन्दु संख्या: 5 में जोड़ा जावें :-** किंतु राजफैड द्वारा की जाने वाली समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन की खरीद का पूर्व में तीन वर्षों का अनुभव रखने वाली फर्म/कम्पनी को क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैड के प्रमाण-पत्र के आधार पर कार्यादेश की राशि का 20 प्रतिशत बैंक गारंटी संबंधित उपापन संस्था/उपापन इकाई (Procurement Entity) को जमा करानी होगी, जिसे कार्य संतोषप्जनक रूप से सम्पादित करने पर लौटा दी जायेगी। (बोली की अन्य शर्तें संख्या: 25 में जोड़ा जाये)

भवदीय,

(टीकम चन्द बोहरा)
प्रबन्ध निदेशक,राजफैड

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

AAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

RAJFED

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर–302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

प्रतिलिपि:–

1– निजी सचिव,माननीय सहकारिता मंत्री महोदय,राजस्थान–सरकार।
2– निजी सचिव,प्रशासक राजफेड व मुख्य सचिव महोदय,राजस्थान–जयपुर।
3– निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव व रजिस्ट्रार महोदया,सहकारिता विभाग,जयपुर।
4– निजी सचिव,जिला कलक्टर,समस्त।
5– निजी सचिव,प्रबन्ध संचालक,राजफैड,जयपुर।
6– अतिरिक्त रजिस्ट्रार,सहकारी समितियॉं,समस्त।
7– महाप्रबन्धक(वित्तीय सलाहकार/वाणिज्य/कृषि आदान/मा.स.वि.)राजफेड–जयपुर।
8– राज्य प्रमुख,नेफैड,जयपुर।
9– क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैड–समस्त।

प्रबन्ध निदेशक,राजफैड

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट 9

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418, 0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX : 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302 001 | 4, BHAWANI SINGH ROAD, JAIPUR-302 001

क्रमांक: एफ.01 / ई–निविदा / लेखा / 2025–2026 / 6945–7049 दिनांक: 08.03.2025

स्पष्टीकरण

उप रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ,
समस्त।

विषयः–वर्ष 2025–2026 के दोनों सीजन (रबी व खरीफ) में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन की खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन निविदाओं के संबंध में।

प्रसंगः–राजफेड के पूर्व पत्रांकः 6196–6295 दिनांक 10.02.2025 व पत्रांकः 6544–6642 दिनांक 04.03.2025 के क्रम में व पत्रांकः 6668–6774 दिनांक 05.03.2025 व पत्रांकः 6777–6882 दिनांक 06.03.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में वर्ष 2025–2026 के दोनों सीजन (रबी व खरीफ) में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन की खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन निविदाओं में पूर्व जारी दिशा–निर्देशों व निविदा प्रपत्र में संशोधित शर्तें व नयी शर्तें को समायोजित किया गया था। लेकिन उपरजिस्टार/क्षेत्रीय अधिकारी एवं कुछ फर्मो द्वारा लगातार पत्र व्यवहार व दूरभाष पर शर्तों के संबंध में सूचनाओं से अवगत कराया जा रहा है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता हैं :–

1– **चैक लिस्ट संख्याः 8 व बोली की अन्य शर्तें संख्या 7 एवं बोली की अन्य शर्तें संख्याः 25.1**

स्पष्टीकरण :–

सफल निविदादाता कार्य छोड़कर चला नहीं जाये अथवा खरीदशुदा जिंसों को नहीं ले जा सकें अथवा जिंसों को वेयरहाउस में जमा नहीं करवाकर खुद–बुर्द कर देवें, ऐसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए,इसके लिए सफल निविदादाता से उसको दिये गये कार्य की अनुमानित लागत की राशि का 50 प्रतिशत बैंक गारंटी के तौर पर कार्यादेश से पूर्व निविदादाता फर्म संबंधित समिति को जमा करानी होगी, जिसे कार्य संतोषजनक रूप से सम्पादित करने पर लौटा दी जायेगी।

2– **बोली की अन्य शर्तें संख्या 30**

स्पष्टीकरण :–

निविदादाता क्रय–विक्रय सहकारी समिति(सोसायटी) होने पर कार्य की अनुमानित लागत की राशि का 20 प्रतिशत बैंक गारंटी संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैड के पक्ष में जमा करानी होगी,जिसे कार्य संतोषजनक रूप से सम्पादित करने पर लौटा दी जायेगी।

3– **बोली की अन्य शर्तें संख्याः 25.2**

स्पष्टीकरण :–

किंतु राजफैड द्वारा की जाने वाली समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन की खरीद का पूर्व में तीन वर्षों का अनुभव रखने वाली फर्म/कम्पनी को क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैड के प्रमाण–पत्र के आधार पर कार्य की अनुमानित लागत की राशि का 20 प्रतिशत बैंक गारंटी के तौर पर कार्यादेश से पूर्व निविदादाता फर्म संबंधित समिति को जमा करानी होगी, जिसे कार्य संतोषजनक रूप से सम्पादित करने पर लौटा दी जायेगी।

4– निविदा प्रपत्र के पेज संख्याः 18 के बिदुं संख्याः 2.3 में स्पष्ट किया जाता हैं कि कमेटी के समक्ष एल–1 फर्मो की समान दरें प्राप्त होती है तो उस स्थिति में निविदा कमेटी संबंधित फर्मो की विडियोग्राफी करवाते हुए लॉटरी प्रक्रिया अपनाकर एल–1 फर्म का चयन किया जायेगा।

भवदीय,

(टीकम चन्द बोहरा)
प्रवन्ध निदेशक,राजफैड

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX : 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

प्रतिलिपिः-

1- निजी सचिव,माननीय सहकारिता मंत्री महोदय,राजस्थान-सरकार।
2- निजी सचिव,प्रशासक राजफेड व मुख्य सचिव महोदय,राजस्थान-जयपुर।
3- निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव व रजिस्ट्रार महोदया,सहकारिता विभाग,जयपुर।
4- निजी सचिव,जिला कलक्टर,समस्त।
5- निजी सचिव,प्रबन्ध संचालक,राजफैड,जयपुर।
6- अतिरिक्त रजिस्ट्रार,सहकारी समितियाँ,समस्त।
7- महाप्रबन्धक(वित्तीय सलाहकार/वाणिज्य/कृषि आदान/मा.स.वि.)राजफेड-जयपुर।
8- राज्य प्रमुख,नेफैड,जयपुर।
9- क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैड-समस्त।

प्रबन्ध निदेशक,राजफैड

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740106, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

परिशिष्ट-10

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांक: 7062-7162 दिनांक: 10.03.2025

उप रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ,
....

विषय:- वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन की निविदाएँ समय पर सम्पादित करवाने बाबत।

प्रसंग:- राजफेड द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देश दिनांक 10.02.2025 व 18.02.2025 एवं संशोधित निविदा प्रपत्र एवं शर्तें दिनांक 05.03.2025 व 06.03.2025।

महोदय,

जैसाकि आपको विदित है कि राज्य में 01 अप्रेल, 2025 से समस्त जिलों में वर्ष 2025-26 रबी सीजन में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन खरीद प्रारम्भ की जानी है। इस हेतु आपको इस कार्यालय के पत्र दिनांक 05.03.2025 व 06.03.2025 के द्वारा समस्त जिलों में हैण्डलिंग एवं परिवहन की निविदाएँ समय पर सम्पादित करवाने हेतु निविदाओं के प्रपत्र एवं शर्तें भिजवाई जा चुकी हैं परन्तु आप द्वारा प्रथम बार निविदा खोलने की समयावधि को अधिक रखते हुए दिनांक 18 से 20 मार्च, 2025 तक रखी है। यदि किसी कारणवश पुनः निविदा आमन्त्रित करनी पड़े तो उसके लिए आपके पास पर्याप्त समय का अभाव रहेगा। अगर आप द्वारा समय पर निविदा कार्यवाही नहीं करवाई जाती है और खरीद कार्य में अनावश्यक विलम्ब होता है तो निविदा कमेटी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। साथ ही नेफेड से उक्त दरें अनुमोदित करवाने में अनावश्यक विलम्ब होगा, जिससे खरीद पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

अतः आप हैण्डलिंग एवं परिवहन की निविदाओं का समस्त कार्य शीघ्रातिशीघ्र सम्पादित करवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि राज्य में 01 अप्रेल, 2025 से रबी सीजन की समर्थन मूल्य पर खरीद कार्य सुचारू रूप से सम्पादित कराया जा सकें।

भवदीय,

(टीकम चन्द बोहरा)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रशासक, राजफेड, जयपुर
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव व रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान सरकार
4. निजी सचिव, जिला कलक्टर समस्त
5. अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ (समस्त)
6. क्षेत्रीय अधिकारी, राजफेड (समस्त)

प्रबन्ध निदेशक

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट-11

GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

RAJFED

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर–302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांकःफो.1/ई–बिड/एच.एन.टी./लेखा/2025–26/5921–5970 दिनांकः 10-02-2025

प्रबन्ध निदेशक,
कृषि विपणन निदेशालय
पंत कृषि भवन,
राजस्थान–जयपुर।

विषयः–वर्ष 2025–26 में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन खरीद हेतु हैण्डलिंग कार्य की सम्बन्धित कृषि उपज मंडी की नवीनतम दरों के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि भारत सरकार नेफैड के लिए वर्ष 2025–26 के लिए समर्थन मूल्य पर रबी व खरीफ(दोनों) सीजन के लिए कृषि जिंस क्रय किये जाते है। इस कार्य हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2025–26 में हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य हेतु निविदाऐं आमंत्रित की जानी है। इस हेतु कृषि जिंस क्रय प्रक्रिया में सम्बंन्धित मंडी की हैण्डलिंग कार्य की दर आधार रखी जा रही है। राजस्थान राज्य में स्थापित सभी कृषि उपज मंडी समितियों की वर्तमान में प्रचलित नवीनतम प्रमाणित हैण्डलिंग दरों की एक–एक प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें। जिससे निविदा कार्य निर्धारित समय तक सम्पन्न करवाया जा सकें।

भवदीय,

(टीकम चन्द बोहरा)
प्रबन्ध संचालक,राजफैड

संलग्नः–प्रोफार्मा।

प्रतिलिपिः–

1– क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैड समस्त को भेजकर लेख है कि आपके अधीन सभी कृषि उपज मंडी समितियों की नवीनतम प्रमाणित हैण्डलिंग दरें प्राप्त कर मुख्यालय को एक सप्ताह में भिजवाये।

2– उप रजिस्ट्रार,सहकारी समितियॉं,समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि इस कार्य हेतु आपके अधीन कृषि उपज मंडी समितियों के नवीनतम प्रमाणित हैण्डलिंग दरें प्राप्त कर सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय,राजफैड/मुख्यालय,राजफैड जयपुर को एक सप्ताह में उपलब्ध करावें।

(टीकम चन्द बोहरा)
प्रबन्ध संचालक,राजफैड

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति.................................,राजस्थान

क्रेता/व्यापारी के खरीद जिंसों पर लगने वाले खर्चो का विवरण(हैण्डलिंग दर)

क्रं.स.	विवरण	50 किलो.ग्राम. भर्ती (कट्टे की दर)	35 किलो.ग्राम(मूंगफली) भर्ती की दर
1.	जिंस की तुलाई		
2.	कांटे से उतराई/कांटे से कट्टे की खिंचाई		
3.	कट्टे की धागे से टैग के साथ मशीन सिलाई		
4.	ट्रक लोड़िग		

नोटः– टैग की सप्लाई नहीं होने की स्थिति में कट्टों पर रंग/मार्का लगाया जायेगा, जिसकी दर 50 पैसे प्रति कट्टा निर्धारित है।

प्रमाणित

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर प्रतिनिधि
(कृषि विपणन विभाग,राजस्थान,जयपुर)

(सचिव,कृषि उपज मंडी समिति,.............)

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम –

निम्नलिखित दस्तावेज नेफेड/एनसीसीएफ को भेजे जाने वाले खरीद एवं हैण्डलिंग बिलों के साथ आवश्यक रूप से जाँच कर संलग्न करें ।

जिन्स का नाम –			खरीद वर्ष –		
क्र. सं.	बिल		आवश्यक दस्तावेज	जाँच हेतु {√}	
				हाँ	नहीं
1	खरीद बिल	1	समिति का विक्रय बिल ।		
		2	ग्राम0 से0 सह0 समिति का विक्रय बिल यदि खरीद है ।		
		3	ऑनलाईन खरीद रजिस्टर दिनांकवार ।		
		4	गोदामवार समिति द्वारा जमा माल का विवरण, वेयरहाउस रसीद सं0, खरीद केन्द्र का नाम, बोरी, वजन एवं दिनांक सहित ।		
		5	मानक भर्ती के अनुसार क्लेम (प्रति बैग गेन को छिज्जत से समायोजित नहीं किया गया है) मानक भर्ती मूंगफली हेतु 35 किलो एवं अन्य हेतु 50 किलो प्रति बैग है ।		
2	बारदाना उपयोगिता बिल	1	सभी प्रकार के बारदाना दरों हेतु राजफेड हस्ताक्षर सहित लागत विवरण । पुराने बारदाने सहित यदि उपयोग किया गया है ।		
		2	अनुबन्ध करार की एक प्रति ।		
		3	टेण्डर प्रक्रिया में चयनित पार्टी को कार्य आदेश की प्रति ।		
		4	पार्टी द्वारा सप्लाई किये गये बारदाने का सैम्पल बिल जिसका मिलान लागत विवरण से हो ।		
		5	मानक भर्ती के अनुसार बारदाना उपयोगिता का बिल ।		
		6	राजफेड का बारदाने उपयोगिता बिल ।		
3	कमीशन बिल	1	राजफेड का बिल 2 प्रतिशत हेतु ।		
		2	समिति का बिल 1 प्रतिशत हेतु ।		
		3	ग्रा0 से0 सह0 समिति का बिल यदि खरीद है ।		
4	हैण्डलिंग बिल	1	राजफेड का हैण्डलिंग बिल ।		
		2	समिति का हैण्डलिंग बिल ।		
		3	ग्रा0 से0 सह0 समिति का बिल यदि खरीद है ।		
		4	नेफेड़ द्वारा अनुमोदित मण्डी दर की प्रति ।		
5	परिवहन का बिल	1	राजफेड का परिवहन का बिल ।		
		2	समिति का परिवहन का बिल ।		
		3	ग्रा0 से0 सह0 समिति का परिवहन का बिल यदि खरीद है ।		
		4	नेफेड़ द्वारा परिवहन हेतु अनुमोदित दरों की प्रति ।		
		5	क्लेम किये गये परिवहन का विवरण – खरीद केन्द्र का नाम, जमा केन्द्र का नाम, दूरी, क्लेम दर इत्यादि ।		
		6	दूरी के प्रमाण हेतु गूगल से निकटतम दूरी प्रमाण पत्र प्रमाणित कर संलग्न करें ।		
		7	50 कि0मी0 से बाहर किये गये परिवहन हेतु मु0सचिव राज0 सरकार से अनुमोदित विवरण जो आशा दिशा निर्देशानुसार केश टू केश बेसिस हो (यानि खरीद केन्द्र एवं जमा केन्द्र का नाम स्पष्ट हो)		

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

परिशिष्ट-13

सहकारिता विभाग

क्रमांक:सह/पी.एस.एस./2018-19/459-609 दिनांक: 06.04.2018

अतिरिक्त रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियां
... खण्ड.........

विषय-- समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत रबी 2018 में चना, सरसों की खरीद के संबंध में।
संदर्भ-- दिनांक 07.03.2018 को मुख्य सचिव राजस्थान की अध्यक्षता आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के निर्णयों की क्रियान्विति

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 07.03.2018 को मुख्य सचिव राजस्थान की अध्यक्षता आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कार्यवाही विवरण पत्र क्रमांक 151--321 दिनांक 03.04.2018 के द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। राजफैड से संबंधित बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करावें । कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक 10 में यह स्पष्ट किया गया है कि खरीफ 2017 में भंडारगृहों में कृषि जिन्स जमा कराते समय कई स्थानों पर गुणवत्ता संबंधि विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। अतः इसे देखते हुए रबी सीजन 2018-19 के लिए भंडारगृहों पर एफएक्यू श्रेणी के जिन्स के संबंध में निम्नानुसार कमेटी गठित की जाती है:-

1. आरएसडब्ल्यूसी/सीडब्ल्यूसी का प्रतिनिधि
2. नेफेड का प्रतिनिधि
3. कृषि विभाग का कृषि पर्यवेक्षक
4. संबंधित समिति व्यवस्थापक – सदस्य सचिव

वेयर हाउस में किसी भी प्रकार के रिजेक्शन में आवश्यक रूप से सर्वेयर से रिजेक्शन रिपोर्ट तैयार करवाई जावे तथा उस पर आवश्यक रूप वेयर हाउस मैनेजर के हस्ताक्षर हो ताकि कृषि जिन्स भंडारण कार्य में पारदर्शिता रखी जा सके।

(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, माननीय सहकारिता एवं गोपालन मंत्री महोदय राजस्थान जयपुर
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि, राजस्थान जयपुर
3. जिला कलेक्टर, (संबंधित)
4. महाप्रबन्धक(वित्त एवं लेखा/कृषि/प्रशासन) राजफैड जयपुर
5. अतिरिक्त रजिस्ट्रार(मार्केटिंग) सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर
6. अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां..................खण्ड..................
7. संयुक्त निदेशक(व्यापार) राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम जयपुर
8. क्षेत्र प्रबन्धक केन्द्रीय भंडारण निगम जयपुर
9. शाखा प्रबन्धक नेफेड जयपुर
10. उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, (संबंधित)..................
11. क्षेत्रीय अधिकारी राजफैड(समस्त)..................

9/4/18

प्रबन्ध संचालक
राजफैड

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट-19 24

राजस्थान सरकार
सहकारिता विभाग

क्रमांकःसह/पी.एस.एस./2021-22/12957-13052 दिनांक 29.03.2022

कार्यालय आदेश

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत क्रय कृषि जिन्स के भण्डारगृह में भण्डारण के दौरान गुणवत्ता संबंधी विवाद निवारण हेतु गठित कमेटी दिनांक 06.04.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार 5 सदस्यीय कमेटी का गठन तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

1. सहायक कृषि अधिकारी, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार – अध्यक्ष
2. क्षेत्रीय अधिकारी राजफैड़ – सदस्य
3. वेयरहाउस (आर.एस.डब्ल्यू.सी.)/सी.डब्ल्यू.सी.) प्रतिनिधि – सदस्य
4. नेफेड प्रतिनिधि – सदस्य
5. संबंधित समिति व्यवस्थापक – सदस्य सचिव

गठित कमेटी द्वारा क्रय कृषि जिन्स की गुणवत्ता पर विवाद होने पर निम्न प्रक्रिया अपनायी जावे :-

1. सदस्य सचिव द्वारा कमेटी की बैठक का आयोजन किया जावेगा।
2. बैठक आयोजन के क्रम में नोटिस जारी किया जावेगा जिसमें तिथि, समय व विवाद विवरण का उल्लेख होगा।
3. बैठक में कमेटी के सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
4. वेयरहाउस व नेफेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा ही प्रतिनिधि नामित किये जा सकेंगे।
5. गुणवत्ता के क्रम में बहुमत से लिया गया निर्णय मान्य होगा।
6. क्रय कृषि जिन्स गुणवत्तायुक्त नहीं पाये जाने पर कारण का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
7. वेयरहाउस में गुणवत्तायुक्त कृषि जिन्स का ही भण्डारण किया जा सकेगा।
8. गठित कमेटी अन्यथा स्थिति यथा भंग या संशोधन न होने की स्थिति में यथावत कार्य करती रहेगी।
9. क्रय कृषि जिन्स की गुणवत्ता के क्रम में सदस्य कमेटी के मध्य मतांतर होने पर सभी सदस्यों के अभिमत कार्यवाही में अंकित किये जावे।
10. कमेटी की बैठक में सम्पन्न कार्यवाही से नेफेड व राजफैड़ को तत्काल अवगत कराया जावे।
11. कमेटी आवश्यक समझे तो संबंधित क्षेत्र के प्रगतिशील कृषकों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकेंगे लेकिन विशेष आमंत्रित सदस्य को मताधिकार नहीं होगा।

(दिनेश कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
1. निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।

Scanned with OKEN Scann

Scanned with OKEN Scanner

परि.-15

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2)विभाग

क्रमांकःप.10(2)कृषि / ग्रुप–2 / 75 / पार्ट   जयपुर, दिनांकः

अधिसूचना

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 17, 17–ए तथा धारा 40– ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लिमिटेड (राजफैड) के माध्यम से दलहन, तिलहन की खरीद समर्थन मूल्य पर किए जाने पर वर्ष 2025–26 के खरीफ सीजन में खरीद अवधि तक के लिए उक्त खरीद पर राज्य की मण्डी समितियों को देय कृषक कल्याण फीस एवं मण्डी शुल्क से छूट प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अशोक कुमार मीना)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ हेतु।
2. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री कृषि विपणन (माननीय मुख्यमंत्री महोदय) राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार।
4. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
5. प्रमुख शासन सचिव, कृषि विपणन विभाग।
6. प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग।
7. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. प्रबंध निदेशक राजफैड जयपुर।
9. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त / उपनिदेशक कृषि विपणन विभाग।
10. समस्त सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

Room No. 5227, Second Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur-302005
Phone No. 0141-2221826/2223267 E-mail - agri.group2@gmail.com

Signature Not Verified
Digitally Signed by ASHOK KUMAR MEENA
Designation : Deputy Secretary To Government
Date :23-09-2025 11:01:30

RajKaj Ref No.: 17919678
eSign DSC

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट – 16

समर्थन मूल्य पर खरीद खरीफ वर्ष 2025–26 का स्टॉक प्रमाण पत्र

दिनांक ....

क्र.स.	जिन्स	पूर्व की खरीद		आज दिनांक .... की खरीद		कुल खरीद		वेयर हाउस में जमा		समिति पिड पर समिति की कस्टडी में		कुल वेयर हाउस में जमा एवं समिति के पिड पर	
		कट्टे	वजन	कट्टे	वजन	कट्टे	वजन	कट्टे	वजन	कट्टे	वजन	कट्टे	वजन
1	2	3	4	5	6	7 (3+5)	8 (4+6)	9	10	11	12	13 (9+11)	14 (10+12)
1.	मूंग												
2.	उड़द												
3.	मूंगफली												
4.	सोयाबीन												
योग–													

Note Hansraj

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट-17

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु०-3) विभाग

क्रमांकःप. 6(13)प्र.सु./अनु.-3/2018 जयपुर, दिनांक 17.4.2018

-:आज्ञा:-

समर्थन मूल्य पर विभिन्न कृषि जिंसों की खरीद के सुचारू क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित [illegible] समितियों का गठन निम्नानुसार किया जाता है:--

(अ) राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी

क्र.सं.	सदस्य	पद
1	मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर	अध्यक्ष
2	महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
3	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
4	अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
5	प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
6.	शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
7	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
8	प्रबन्ध संचालक, आरएसडब्लूसी, जयपुर	सदस्य
9	शाखा प्रबन्धक, नेफेड, जयपुर	सदस्य
10	प्रबन्ध संचालक, राज. रा. सह. बैंक लि.(अपैक्स बैंक), जयपुर	सदस्य
11	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सीडब्लूसी, जयपुर	सदस्य
12	प्रबन्ध संचालक, रा.रा.स.क.वि.सं.लि.(राजफैड), जयपुर	सदस्य सचिव

(ब) समर्थन मूल्य पर खरीद की दिन प्रतिदिन की समस्याओं के निस्तारण एवं निगरानी हेतु राज्य स्तरीय समन्वय कमेटी

क्र.सं.	सदस्य	पद
1	अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर	अध्यक्ष
2	प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
3	महानिरीक्षक, पुलिस (लॉ एण्ड आर्डर) राजस्थान, जयपुर	सदस्य
4	शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
5	प्रबन्ध संचालक, रा.रा.स.क्र.वि.सं.लि.(राजफैड), जयपुर	सदस्य
6	अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय), सहकारी समितियाँ, राज., जयपुर	सदस्य
7	अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मार्के.), सहकारी समितियाँ, राज., जयपुर	सदस्य
8	प्रबन्ध संचालक, राज. रा. सह. बैंक लि.(अपैक्स बैंक), जयपुर	सदस्य
9	अतिरिक्त निदेशक, कृषि, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
10	अधिशाषी निदेशक, आरएसडब्लूसी, जयपुर	सदस्य
11	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सीडब्लूसी, जयपुर	सदस्य
12	शाखा प्रबन्धक, नेफेड, जयपुर	सदस्य
13	महाप्रबन्धक, वित्त, राजफैड, जयपुर	सदस्य
14	महाप्रबन्धक, वाणिज्य, राजफैड, जयपुर	सदस्य सचिव

Scanned with OKEN Scanner

(स) जिला स्तर पर समर्थन मूल्य पर खरीद में समस्याओं के सुगम निराकरण हेतु जिला स्तरीय समन्वय एवं निगरानी समिति

क्र.सं.	सदस्य	पद
1	जिला कलक्टर, संबंधित जिला	अध्यक्ष
2	पुलिस अधीक्षक, संबंधित जिला	सदस्य
3	अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां एवं पदेन प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड	सदस्य
4	जिला रसद अधिकारी, संबंधित जिला	सदस्य
5	निकटस्थ क्रय–विक्रय सहकारी समिति (के.वी.एस.एस.) का एक प्रतिनिधि	सदस्य
6	उप निदेशक, कृषि विभाग	सदस्य
7	प्रतिनिधि, आरएसडब्लूसी/सीडब्लूसी	सदस्य
8	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ	सदस्य सचिव

(द) खरीद केन्द्र के स्तर पर समर्थन मूल्य की खरीद के मे आने वाली समस्याओं के सुगम निराकरण हेतु खरीद केन्द्र समन्वय एवं निगरानी समिति

क्र.सं.	सदस्य	पद
1	संबंधित उपखण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2	जिला रसद अधिकारी	सदस्य
3	उप पुलिस अधीक्षक/थाना इन्चार्ज (संबंधित)	सदस्य
4	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ	सदस्य
5	प्रतिनिधि आरएसडब्लूसी/सीडब्लूसी	सदस्य
6	सचिव, कृषि उपज मण्ड समिति	सदस्य
7	के सी एस एस/खरीद केन्द्र का व्यवस्थापक	सदस्य सचिव

उक्त समितियों का प्रशासनिक विभाग सहकारिता विभाग है।

आज्ञा से,

17/5/18

(डॉ0 प्रेम सिंह चारण)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, सहकारिता मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त/कृषि विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग।
6. निजी सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, सहकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त जिला कलेक्टर।
11. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
12. समस्त कोषाधिकारी, संबंधित जिला।
13. समस्त उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ।
14. प्रबन्ध संचालक आरएसडब्लूसी/राजफैड/अपैक्स बैंक, जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली। संदर्भ सं. प.9(11)सह/2018/दूज–1

17/5/18

(के.के.खण्डेलवाल)
अनुभाग अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट - 18

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।।

क्रमांकः—व—15(11) कानून—व्यवस्था / 2018—23 / 376 दिनांकः—20.3

समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
समस्त उपायुक्त जयपुर / जोधपुर।

विषयः—समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत रबी 2023—24 में चना—सरसों के केन्द्रों के संबंध में।

प्रसंगः— राजस्थान राज्य सहकारी, क्रय—विक्रय संघ लि. के पत्र क्रमांक 5768—6488 दिनांक 17.03.23 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि रबी फसल 2023—24 में समर्थन मूल्य पर चना—सरसों की खरीद हेतु क्रय केन्द्रों पर लाया जायेगा। उक्त खरीद के दौरान क्रय केन्द्रों पर किसी प्रकार की कानून—व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो इस संबंध में आपके जिलों के क्रय केन्द्रों पर फसल खरीद के दौरान आवश्यक पुलिस प्रबन्ध किया जाकर कानून—व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

हिम्मत अभिलाष टाक, IPS
पुलिस अधीक्षक,
कानून—व्यवस्था, राज0, जयपुर।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—
1. पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर।
2. समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
3. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय—विक्रय संघ लि. जयपुर को प्रासंगिक पत्र के क्रम में।

Signature valid
Digitally signed by Himmat Abhilash Tak
Designation : Superintendent Of Police
Date: 2023.03.20 22:30 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3439689

(37)

29

परिशिष्ट - 19

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग

क्रमांक : 2020-21/14706-14793

दिनांक 16.10.2020

जिला कलक्टर,

............................(सम्बन्धित)

विषयः समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत खरीफ वर्ष 2020 में मूंग, उड़द मूंगफली एवं सोयाबीन की खरीद केन्द्रों पर सुचारू खरीद व्यवस्था हेतु।

महोदय,

राजफैड़ द्वारा राज्य में समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द एवं सोयाबीन की दिनांक 01.11.2020 एवं मूंगफली की खरीद दिनांक 18.11.2020 से आरम्भ की जानी है। किसानों के ऑनलाईन पंजीयन दिनांक 20.10.2020 से आरम्भ किये जा रहे है।

क्रय केन्द्रों के सुचारू क्रियान्वयन एवं मौके पर आने वाली समस्याओं के सुगम निराकरण हेतु खरीद केन्द्रों के स्तर पर प्रशासनिक सुधार विभाग (अनु-3) राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प 6(13) प्र.सु./अनु-3/2018 दिनांक 17.04.2018(संलग्न) के अनुसार समिति गठित की गई है। उक्त समन्वय एवं निगरानी समिति को आपके स्तर से सक्रिय करने हेतु निर्देश जारी करावें एवं साप्ताहिक रूप से इसकी रिपोर्ट प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करावें।

राजस्व सबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए खरीद के दौरान प्रत्येक क्रय केन्द्रों पर एक नायब तहसीलदार/गिरदावर मय हल्का पटवारी की नामजद ड्यूटी लगाई जावें, जो कि खरीद के दौरान क्रय केन्द्रों पर उपस्थित रहेगें एवं क्रय केन्द्रों पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करेगें। इन क्रय केन्द्रों पर कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रत्येक केन्द्र पर 1-4 का पुलिस बल भी लगाया जावें। सम्बन्धित जिला कलक्टर साप्ताहिक रिपोर्ट प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. (राजफैड़) को भी भिजवाना सुनिश्चित करे।

समर्थन मूल्य पर दलहन तिलहन खरीद का कार्य महत्वपूर्ण प्रकृति का है। आगामी दिनों में राज्य में निकाय चुनाव होने जा रहे है। खरीद कार्य में राजफैड, क्रय विक्रय सहकारी समितियों,सहकारी विभाग के अधिकारियों को चुनाव डयूटी से मुक्त रखा जाना है। सबंधित जिला कलक्टरस द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखते हुए व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

मुख्य सचिव

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख शासन सचिव, कृषि राजस्थान सरकार, जयपुर
2. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर-गत सीजन में जो केन्द्र संवेदनशील रहे है, उन पर विशेष निगरानी की व्यवस्था करवायी जावे।
3. उप शासन सचिव, सहकारिता, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. अतिरिक्त/संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ..........................खण्ड..........................
5. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ..........................
6. क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड़ (समस्त)..........................
7. प्रचार अधिकारी, सहकारी विभाग, जयपुर।

(कुंजी लाल मीणा)

प्रमुख शासन सचिव

30

Scanned with OKEN Scanner

बैनर का प्रारूप

क्रय–विक्रय सहकारी समिति लि0......................जिला ....

किसान द्वारा वहनीय खर्चों की राशि समिति में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जावे।

समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली खरीफ वर्ष 2025–26 क्रय केन्द्र ....
समर्थन मूल्य दर मूंग – 8768/– रु. क्विंटल, उड़द – 7800/– रु. क्विंटल, सोयाबीन – 5328/– रु. क्विंटल, एवं मूंगफली – 7263/– रु. क्विंटल

दलहन एवं तिलहन की एफ.ए.क्यू. किस्म के भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार हैं :–

क्र.सं.	मापदण्ड	दलहन (मूंग – उड़द)%	तिलहन (सोयाबीन – मूंगफली)%
1.	विजातीय तत्व, धूल मिट्टी ग्रस्त		
2.	अन्य अनाज दाने – जैसे तोरिया		
3.	टूटे फूटे दाने		
4.	मामूली कस से क्षतिग्रस्त व बदरंग		
5.	अपरिपक्व एवं टूटे हुये सिकुड़े व कच्चे दाने		
6.	अन्य किस्म व मिले हुये		
7	दबे हुये व घुने दाने		
8.	नमी की मात्रा		

- कृपया कृषक अपनी फसल को साफ व सुखाकर उक्त मापदण्डों की किस्म ही विक्रय हेतु लावे। एफ.ए.क्यू. का दायित्व स्वयं कृषक को होगा।
- कृषक अपनी जिन्स के विक्रय हेतु जनआधार कार्ड, मूल गिरदावरी, बैंक पासबुक व रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज साथ लावे।
- उपरोक्त बिन्दु 1 से 8 भारत सरकार द्वारा घोषित मापदण्डों की परिभाषा के अधीन स्वीकार्य सीमा तक मान्य है।

जिन्स छनाई से लेकर कांटे पर बोरी रखाई तक के किसान द्वारा वहनीय खर्चों की राशि का योग–

गतिविधि	दर प्रति कट्टा
1.उतराई	....
2. छंनाई	....
3. भराई	....
4. कांटे पर रखाई	....

किसान द्वारा स्वयं सम्पन्न गतिविधि का चार्ज वसूल योग्य नहीं होगा।

व्यवस्थापक का नाम .... मोबाईल नम्बर ....

केन्द्र प्रभारी का नाम .... मोबाईल नम्बर ....

उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ......................
नाम...................... मोबाईल नम्बर ....
क्षेत्रीय अधिकारी, राजफेड....................... मोबाईल नम्बर ....

राजफेड टोल फ्री नम्बर 18001806001

ई–मेल आई.डी. rajfed@yahoo.com

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–21

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि0

क्रय केन्द्र का विजिट किये जाने हेतु विजिट रिपोर्ट प्रारूप

1. विजिटकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम ....

2. क्रय केन्द्र का नाम ....

3. विजिट किये जाने की दिनांक ....

4. विजिट दिनांक तक की गई कुल खरीद जमा एवं शेष (बैग्स की संख्या)

क्र.सं.	जिन्स का नाम	कुल खरीद(बैग्स)	जमा	शेष	विशेष विवरण
1					
2					
3					
4					

5. बटाईदार से खरीद का सत्यापन

क्र.सं.	जिन्स का नाम	बटाईदार कृषकों की संख्या जिनसे विजिट दिनांक .... तक खरीद की गयी है	विजिट दिनांक तक बटाईदार कृषकों से क्रय किए गए जिन्स के दस्तावेजों के सत्यापन की संख्या	यदि कोई असमानता पायी जाती है तो उसका स्पष्ट विवरण पृथक से संलग्न करे।
1				
2				
3				
4				

6. गुणवत्ता संबंधी मूल्यांकन

....

....

....

Scanned with OKEN Scanner

7. तौल संबंधी मूल्यांकन

....

....

....

8. बारदाने संबंधी मूल्यांकन

क्र.सं.	जिन्स का नाम	केन्द्र पर प्राप्त कुल बारदाना (संख्या)	उपयोग में लिया गया बारदाना (संख्या)	शेष बारदाना (संख्या)	विशेष विवरण
1					
2					
3					
4					

9. खरीद किये जा चुके माल की सुरक्षा हेतु किये गये प्रबंध

....

....

....

10. कृषकों की पहचान बाबत मूल्यांकन

....

....

....

11. रिजेक्शन संबंधी मूल्यांकन

....

....

....

12. क्रय केन्द्र की साफ–सफाई, रोशनी/पेयजल एवं कोविड–19 से संबंधित व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे एवं क्रय केन्द्र पर लगाये जाने वाले बैनर्स आदि की

Scanned with OKEN Scanner

व्यवस्था तथा किसान से वसूली योग्य राशि अंकित करे। (बैनर्स की फोटो संलग्न करे)

....

....

....

13. तीन कृषकों से लिये गये बयान संलग्न करे एवं यदि कोई कृषकों की समस्या हो तो उसका विवरण देंवें।

....

....

....

14. केन्द्र पर खरीदे गए माल का उठाव/ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से हो रहा है अथवा नहीं का विवरण(आदेश/वर्कऑर्डर की फोटो प्रति सहित)

....

....

....

....

15 . विशेष विवरण ....

....

....

....

Scanned with OKEN Scanner

16. समिति व्यवस्थापक का नाम एवं मोबाईल न0

....

....

....

विजिटकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner